रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2019/आषाढ़ 26, 1941
No. 209] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2019/ASHADHA 26, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

विषय : **चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम**

फा. सं. 7/44/2018-डी जी टी आर.—सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में भी सदर्भित) तथा उसके सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) निमयावली, 1995 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया (इसके पश्चात ''नियमावली'' के रूप में भी संदर्भित) के संबंध;

क. इस मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि, चीन जन. गण. से संबध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच इस निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिसूचना संख्या 14/11/2013 दिनांक 5 सितंबर, 2013 के माध्यम से आरंभ की गई और उसके पश्चात दिनांक 01 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या 14/11/2013 – डी जी ए डी के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा जारी की गई थी जिसमें आरंभिक शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की गई थी। आरंभिक शुल्क दिनांक 16 सितंबर, 2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 40/2014 के माध्यम से लगाया गया था। इसके पश्चात, आरंभिक जांच परिणामों की पुष्टि की गई थी और अंतिम जांच परिणाम दिनांक 4 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 14/11/2013 – डी जी ए डी के द्वारा जारी किया गया था। अंतिम जांच परिणामों में इस प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, सीमा

शुल्क अधिसूचना सं. 11/2015 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क (इसके पश्चात ''ए डी डी'' के रूप में भी संदर्भित) दिनांक 11 अप्रैल, 2015 से लगाया गया था।

2. मैसर्स आदित्य बिरला इंसुलेटर्स (ग्रासिम इंडस्ट्रीयल लिमि. की एक इकाई), मैसर्स इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी और मैसर्स मॉडर्न इंसुलेटर्स लिमि. ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार चीन जन. गण. से इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

3. इन आवेदकों द्वारा इस तथ्य की जांच करने के लिए कि क्या चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये (इसके पश्चात ''संबद्ध देश'' के रूप में संदर्भित) संबद्ध वस्तुओं के आयात पर उक्त शुल्कों के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा (इसके पश्चात ''एस एस आर'' के रूप में भी संदर्भित) जांच आरंभ करने का औचित्य बताने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने फाईल संख्या 7/44/2018 – डी जी टी आर के माध्यम से दिनांक 10 जनवरी, 2019 को एक आम सूचना जारी की।

4. संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये उपर्युक्त वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच के सभी पहलू इस वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

5. प्राधिकारी द्वारा इस जांच के संबंध में यहां नीचे उल्लेख की गई प्रक्रिया का उपर्युक्त जांच को आरंभ करने की अधिसूचना जारी की जाने वाली आम सूचना को जारी किये जाने के बाद पालन किया गया है :

i. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को प्राधिकारी ने नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच आरंभ करने के लिए कार्यवाई शुरू करने के पूर्व पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध पाटनरोधी जांच को आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 10 जनवरी, 2019 को एक आम सूचना जारी की।

iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे यह अनुरोध किया गया वे जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर अपने दृष्टिकोण के बारे में लिखित रूप से अवगत करायें।

iv. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावास तथा भारत में ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं को इस आवेदन का अगोपनीय पाठ (इसके पश्चात ''एन सी वी'' के रूप में भी संदर्भित) की एक प्रति उपलब्ध कराई।

v. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देश निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजी गई थी तथा साथ ही संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ साथ दूतावासों को भी भेजी गई थी।

vi. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली और बाजार अर्थव्यवस्था प्रशोधन प्रश्नावली (चीन जन. गण.) के लिए भेजी :

क. मैसर्स हुनन लिलिंग हॉक्सिन पोर्सिलेयन इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक अर्पाटस कं. लिमि.

ख. मैसर्स डालियान इंसुलेटर कं. लिमि.

ग. मैसर्स एन जी के इंसुलेटर टंगशन कं. लिमि.

घ. मैसर्स जियान एक्सडी हाई वोल्टेज पोर्सिलेयन इंसुलेटर कं. लिमि.

ङ. मैसर्स एन जी के सेरामिक्स सुझोऊ कं. लिमि.

च. मैसर्स एन जी के इंसुलेटरर्स सुझोऊ कं. लिमि.

छ. मैसर्स एन डब्ल्यू बी (शंघाई) कं. लिमि. (ट्रेंच चाईना)

ज. मैसर्स चाइना इलेक्ट्रो ‘ सेरामिक्स इम्पो. एंड एक्स. कं. लिमि.

झ. मैसर्स ट्रेंच हाई वोल्टेज प्रोडक्स लिमि., शेनयांग (टी एच वी एस)

ञ. मैसर्स हुनन लिलिंग गुओलियन पोर्सिलेयन इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल अर्पाटस कं. लिमि.

ट. मैसर्स सेव्स सेडीवर इंसुलेटर (बीजिंग) कं. लिमि.

ठ. मैसर्स ननजिंग इलेक्ट्रिक ग्रुप कं. लिमि.

ड. मैसर्स झिगोंग सेडीवर टोडहेनेड ग्लास इंसुलेटर कं. लिमि.

ढ. मैसर्स सिचुआन यिबिंग ग्लोबल ग्रुप कं. लिमि.

ण. मैसर्स सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं. लिमि.

त. मैसर्स लिलिंग हॉक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं. लिमि.

थ. मैसर्स चेंग्डू ग्लोबल स्पेशल ग्लास मेनिफेक्चरिंग कं. लिमि.

द. मैसर्स शेनयांग झिंझिंग एलाइंस इलेक्ट्रिक कं. लिमि.

ध. मैसर्स टंगशन हाई वोल्टेज पोर्सिलेयन इंसुलेटर्स कं. लिमि.

न. मैसर्स लिआनइंग शुआंगलिंग इलेक्ट्रिक पोर्सिलेयन मेनिफेक्चरिंग कं. लिमि.

vii. संबद्ध जांच आरंभ करने की प्रतिक्रिया स्वरूप, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इसका जवाब दिया है :

क. मैसर्स लिलिंग हॉक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी क. लिमि.

viii. इसके अलावा, सुनवाई के पश्चात निम्नलिखित पक्षकार द्वारा भी अनुरोध किये गये थे -

क. मैसर्स सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं. लिमि.

ix. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातको/ उपभोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावली भेजी:

क. मैसर्स क्रोमप्टन ग्रेवेस लिमि.

ख. एरेवा टी एंड डी इंडिया लिमि.

ग. मैसर्स ए बी बी लिमि.

घ. मैसर्स साइमेन्स लिमि.

ङ. मैसर्स पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

च. मैसर्स अडानी पावर लिमि.

छ. मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमि.

ज. मैसर्स कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमि.

झ. मैसर्स के ई सी इंटरनेशनल लिमि.

ञ. मैसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि.

x. संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इसका जवाब नहीं दिया है।

xi. एक अन्य निर्यातक नामत: मैसर्स सेडिवर इंसुलेटर (शंघाई) कं. लिमि. ने विलंबित चरण में प्राधिकारी के समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया गया था और उस पर हितबद्ध पक्षकारों के रूप में विचार किया गया था तथा मौखिक कार्यवाही के दौरान ही उसके बारे में सूचना दी गई थी। हालांकि, मैसर्स सेडिवर इंसुलेटर (शंघाई) कं. लिमि. द्वारा किये गये अनुरोधों पर विचार किया गया था और जहां भी उसे संगत पाया गया उसका समाधान किया गया है। यद्यपि, कंपनी ने निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है जबकि कंपनी ने यह दावा किया है कि उसने निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक पत्र भेजा है परंतु कंपनी द्वारा अधिकृत कानूनी प्रतिनिधि उन अनुरोधों को प्रस्तुत करने के बारे में दर्शाते हुए कोई भी दस्तावेज दिखाने में सक्षम नहीं हुए जिसे उन्हें विशेष रूप से ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। किसी भी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं (विलंब से) की जांच करने के लिए इसे और अधिक उपयुक्त माना। यह भी नोट किया जाता है कि कंपनी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और इस प्रकार से उस सीमा तक यह असहयोगी है।

xii. प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच के लिए हितबद्ध पक्षकारों की सूची दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के नोटिस के माध्यम से अधिसूचित की गई थी जिसमें केवल निम्नलिखित पक्षकारों को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया था।

क. मैसर्स अदित्य बिरला इंसुलेटर्स (ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक इकाई)

ख. मैसर्स इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी

ग. मैसर्स मॉडर्न इंसुलेटर्स लिमि.

घ. मैसर्स लिलिंग हॉक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी क. लिमि.

xiii. प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई आम फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

xiv. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि (इसके पश्चात ''जांच की अवधि'' के रूप में भी संदर्भित) के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन देन वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था, जो इस प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने इन लेन देन की उचित जांच करने के बाद आयातों की मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

xv. आमतौर पर स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।।। के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की आदर्शतम लागत और इसे बनाने एवं बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षति रहित

कीमत (एन आई पी) तय की गई है जिससे कि इस तथ्य का पता लगाया जा सके कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन की तुलना में कमतर पाटनरोधी शुल्क पर्याप्त होगा।

xvi. प्राधिकारी ने नियम 6 (6) के अनुसार मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए इन हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने हेतु दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को मौखिक सुनवाई की जिसमें घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सभी पक्षकार जिन्होंने मौखिक सुनवाई के समय अपने विचार प्रस्तुत किये, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गये विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा किये गये लिखित अनुरोधों को प्राप्त करें और उन्हें उसके पश्चात अपने प्रत्युत्तर को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

xvii. घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक इसे आवश्यक माना गया। जहां भी लागू हुआ आवश्यक संशोधन के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर विश्वास किया गया है।

xviii. वर्तमान समीक्षा जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2017 से 30 सितंबर, 2018 (18 महीने) है। क्षति के विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 और जांच की अवधि शामिल थी।

xix. एक प्रकटन विवरण हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 27.06.2019 को जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य शामिल किये गये थे और प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 08.07.2019 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।

xx. इस जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों को जहां भी संगत पाया गया इस जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा उसका समाधान किया गया है।

xxi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता संबंधी दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न किये गये के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।

xxii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच दिये जाने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के पक्षकारों को असहयोगी माना है और विचार/ टिप्पणियों को रिकार्ड किया है।

xxiii. इस दस्तावेज में '***' गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से मानी गई सूचना का द्योतक है।

xxiv. जांच की अवधि के लिये विनिमय दर को प्राधिकारी द्वारा 1 अमरीकी डॉलर = 66.61 रुपए के रूप में लिया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. (विचाराधीन उत्पाद "पी यू सी" के रूप में भी संदर्भित) ग्लास अथवा पोर्सिलेयन / सेरेमिक का इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है चाहे उसे असेम्बल किया गया हो अथवा न किया गया हो। हालांकि, (क) 1 के वी की रेटिंग वाले वोल्टेज का

टेलीफोन अथवा टेलिग्राफ इंसुलेटर, (ख) 1 के वी तक की रेटिंग वाले वोल्टेज का इलेक्ट्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों/ यंत्रों अथवा यंत्र इंसुलेटर और (ग) कम्पोजिट इंसुलेटर को वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि बसिंग और वोल्टेज ट्रांसफार्मर विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित कार्यवाहियों के कार्यक्षेत्र से परे हैं।

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

7. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये थे :

i. चूंकि वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है अत: विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वही रहता है जिस पर मूल जांच में विचार किया गया है।

ii. एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का मुख्य कार्य उच्च वोल्टेज वाले क्षेत्रों में एक कंडक्टिंग बाडी के अन्य कंडक्टिंग बाडी का संवाह रोकना है अथवा एक बाडी का संवाह रोकना है जो आस पास के क्षेत्रों जहां विद्युतीय उर्जा के प्रकार के पारेषण से बचा जाना है, विद्युतीय एनर्जी का पारेषण करना है।

iii. विचाराधीन उत्पाद में काफी संख्या में अनेक प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद के उपयोग के आधार पर, इसका वर्गीकरण पारेषण लाइन इंसुलेटर और सब स्टेशन इंसुलेटर में किया जा सकता है।

iv. पोर्सिलेयन इंसुलेटर के लिए, संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा और याचिकाकर्त्ता कंपनियों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा साथ ही घरेलू उद्योग और संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया तुलनीय नहीं है। हरेक निर्माता उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यकताओं के अनुसार अपने उत्पादन की प्रक्रिया को परिष्कृत करता है।

v. ग्लास इंसुलेटरों के लिए, उत्पादन प्रौद्योगिकी, संयंत्र एवं उपक्रम, उत्पादन की प्रक्रिया उससे अलग है जो पोर्सिलेयन इंसुलेटरों में शामिल है। ग्लास और पोर्सिलेयन इंसुलेटरों में शामिल निर्माण प्रक्रिया अलग अलग हैं क्योंकि ग्लास इंसुलेटरों को कच्चे माल को गलाकर और उसके बाद उसे घनीभूत कर बनाया जाता है जबकि पोर्सिलेयन इंसुलेटरों का निर्माण कच्चे माल को अपेक्षित आकार में बनाकर किया जाता है। क्ले को या तो प्रक्रिया बनाकर अथवा गलाने की प्रक्रिया के द्वारा अपेक्षित रूप में ढाला जाता है। बनाने की प्रक्रिया में, क्ले को एक अपेक्षित मिश्रण में डाला जाता है और एक टींड तैयार किया जाता है। यह टींड वांछित आकारों में बनाया जाता है जबकि निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग होती है अत: जिस प्रकार से कच्चे मालों का आशोधन किया जाता है उस पर विचार करते हुए, इस उत्पाद को बनाने के लिए बहुत ही कार्य पद्धति प्राय: एक जैसी है।

vi. समान वस्तु के मुद्दे की जांच प्राधिकारी द्वारा पहले ही मूल जांच में विस्तार से की गई है। प्राधिकारी ने मूल जांच में यह निर्धारित किया था कि संबद्ध देश से आयात किये गये संबद्ध वस्तु और वह वस्तु जिसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है, समान वस्तु हैं। चूंकि यह समीक्षा जांच है अत: विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया उत्पाद है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं को इस जांच के लिए भी पाटनरोधी नियमावली के तात्पर्य से संबद्ध देश से आयात की गई वस्तुओं को समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए।

vii. यह विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र को बढ़ाये जाने का प्रयास नहीं है। यह कहना गलत है कि पोलिमर इंसुलेटर ग्लास/ पोर्सिलेयन इंसुलेटरों की तुलना में अलग अलग उत्पाद हैं। पोलिमर इंसुलेटरों को ग्लास/ पोर्सिलेयन इंसुलेटरों के समान उत्पाद के रूप में माना जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराये हैं और वे यदि प्राधिकारी द्वारा आवश्यक हुआ तो और अधिक साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।

viii. संबद्ध वस्तुओं के कार्यक्षेत्र में पोलिमर इंसुलेटरों को शामिल करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ix. याचिकाकर्ताओं ने पोलिमर इंसुलेटरों के लिए एक अलग आवेदन भरा था। साथ ही, घरेलू उद्योग बाजार को वापस पोर्सिलेयन इंसुलेटर तक लाने के लिए विभिन्न उपाय करती रही है। इन प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दर्शाना शुरू कर दिया है। यह दोहराया जाता है कि घरेलू उद्योग पोलिमर इंसुलेटरों को संबद्ध वस्तु के रूप में नहीं मान रहा है और उन पर शुल्क लगाये जाने की कोशिश कर रहा है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

8. विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है :

i. याचिकाकर्ताओं ने पोलिमर/ ग्लास/ पोर्सिलेयन इंसुलेटरों को समान उत्पाद के रूप में माना है और समान वस्तु के रूप में पोलिमर/ ग्लास/ पोर्सिलेयन इंसुलेटरों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र को संशोधित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी अनुमति निर्णायक समीक्षा समीक्षा जांच में नहीं दी जा सकती है।

ii. चूंकि क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों में गिरावट आई है और पोलिमर इंसुलेटरों के आयातों में वृद्धि हुई है अत: याचिकाकर्ता वर्तमान जांच में दोनों उत्पादों को समान वस्तु के रूप में मान रहे हैं और उस पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की मांग कर रहे हैं। पोलिमर इंसुलेटर ग्लास/ पोर्सिलेयन इंसुलेटर की तुलना में अलग अलग उत्पाद हैं।

iii. घरेलू उद्योग पोलिमर इंसुलेटर का उत्पादन नहीं करता है। केवल मैसर्स आदित्य बिरला इंसुलेटर मामूली मात्रा में पोलिमर इंसुलेटर का उत्पादन करता है। यह अनुरोध किया जाता है कि जब याचिकाकर्ता स्वयं पोलिमर इंसुलेटर का उत्पादन नहीं करते हैं तब संबद्ध वस्तुओं के कार्यक्षेत्र में इसको शामिल किये जाने के लिए अनुरोध को नहीं माना जा सकता है।

iv. विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में पोलिमर इंसुलेटर पर विचार किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध होगा क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों को अपने आंकड़े और सूचना प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध नहीं कराया गया है क्योंकि पोलिमर इंसुलेटर को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर किया गया था।

v. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वे एक अलग आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और यह भी दावा कर रहे हैं कि समान वस्तु के रूप में इसे मानते हुए वर्तमान जांच में पोलिमर इंसुलेटर को शामिल किया जाये। यदि ये इन दोनों को समान वस्तु के रूप में मान रहे हैं तब उसी देश के विरुद्ध समान उत्पादों के विरुद्ध किसी प्राधिकारी के समक्ष दो अलग अलग/ पृथक आवेदन प्रस्तुत करना मान्य नहीं है और वह आवेदकों की ओर से विरोधाभासी सोच को दर्शाता है। याचिकाकर्ताओं को सभी रूपों पर विचार करते हुए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटरों के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए एक ताजा कम्पोजिट आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद ग्लास अथवा पोर्सिलेयन/ सिलेमिक का इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है चाहे उसे असेम्बल किया गया हो, अथवा न किया गया हो और उसमें (क) 1 के वी तक की रेटिंग वाला वोल्टेज का टेलिफोन अथवा टेलिग्राफ इंसुलेटर, (ख) 1 के वी तक की रेटिंग वाला वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/ यंत्र इंसुलेटर और (ग) कम्पोजिट इंसुलेटर शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बशिंग और वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बाहर है। विचाराधीन उत्पाद में मूल जांच में किये गये निर्धारण के अनुसार विभिन्न पी सी एन ने पहचान किये गये उत्पाद में काफी संख्या में अलग अलग प्रकार शामिल हैं।

10. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है अत: प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वही रहता है जो मूल और बाद की समीक्षा जांच में है।

11. जहां तक, विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में पोलिमर इंसुलेटर को शामिल किये जाने के बारे में तर्क का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि पोलिमर इंसुलेटर संबद्ध वस्तुओं की ''समान वस्तु'' है जिसे ग्लास/ पोर्सिलेयन इंसुलेटरों पर शुल्कों को लगाये जाने के बाद पोलिमर इंसुलेटर के बढ़े हुए आयातों के तथ्य के द्वारा उजागर किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि पोलिमर इंसुलेटरों का उपयोग कुछ प्रयोगों में ग्लास/ पोर्सिलेयन इंसुलेटरों के स्थान पर किया जा रहा है और इस प्रकार से उन्हें संबद्ध वस्तुओं का ''समान वस्तु'' बनाया जा रहा है। हालांकि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र को बदलने के लिए इच्छुक नहीं है और इन्होंने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में पोलिमर इंसुलेटर को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया था जो जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना से स्पष्ट है। इसके अलावा, पोलिमर इंसुलेटर के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कथित क्षति का मुद्दा कारणात्मक संबंध का एक मुद्दा है और इसकी उपयुक्त रूप से जांच वर्तमान अधिसूचना में संबंधित स्थान पर कर ली गई है।

12. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देश से निर्यात किये गये विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक गुणों, कार्य एवं उपयोग, उत्पादन विनिर्देशन, वस्तुओं का वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के मामले में संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के तुलनीय हैं। इन दोनों का तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में अंतर मात्र के इन उत्पादन प्रकारों को अलग अलग नहीं माना जाता है। उपभोक्ता/ प्रयोक्ता उद्योग अंतिम रूप से अलग अलग उत्पाद प्रकारों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं और ये उत्पाद प्रकार इन संबद्ध वस्तुओं की समान वस्तु हैं जिनका आयात संबद्ध देश से किया जा रहा है। किसी भी मामले में उत्पाद के कार्यक्षेत्र और समान वस्तु के मुद्दे की जांच प्राधिकारी द्वारा विगत में समाप्त जांच में की गई थी और आगे इसके संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

13. संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण प्रशुल्क वर्गीकरण के उपशीर्ष 854610 और 854620 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि, विचाराधीन उत्पाद का भी आयात परियोजना श्रेणी के आयातों के रूप में अध्याय 98 के अंतर्गत किया गया है। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र हैं और यह किसी भी प्रकार से जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

14. प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से निर्यात किये गये विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र एवं उसका स्थान

15. यह याचिका मैसर्स आदित्य बिरला इंसुलेटर (ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. की एक इकाई), मैसर्स इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक कंपनी और मैसर्स मॉर्डन इंसुलेटर लिमि., (इसके पश्चात ''याचिकाकर्ता'' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर की गई थी जिसमें चीन जन. गण. से इलेक्ट्रिक इंसुलेटरों के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने/ उसको बढ़ाये जाने के लिए निर्णायक समीक्षा का आरंभ करने की मांग की गई।

16. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के अलावा, कुछ अन्य उत्पादक है जो संरक्षित और असंरक्षित दोनों क्षेत्रों में कार्य करते हैं। भारतीय उत्पादन के ब्यौरे इण्डियन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर्स एसो. (आई ई ई एम ए) के अनुसार उपलब्ध कराये गये हैं। चूंकि आई ई ई एम ए द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना संख्या के बारे में है अत: घरेलू उद्योग में विभिन्न प्रकार के इंसुलेटरों जिन्हें उपयुक्त पाया गया है, के लिए उपयुक्त वजन अपनाकर उसे वजन में परिवर्तित किया है। इसके अलावा, आई ई ई एम ए द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्पादन से संबंधित ब्यौरे में आई ई सी द्वारा उत्पादन शामिल नहीं है। इस कारण से, आई ई सी उत्पादन को वास्तविक आधार पर जोड़ा गया है। चूंकि ए बी आई और मॉर्डन वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं अत: आई ई ई एम ए के आंकड़ों के स्थान पर ए बी आई और मॉर्डन के वास्तविक आंकड़ों को रखा गया है।

17. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का ''एक बड़ा हिस्सा'' है। इस संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकारों से कोई प्रतिकूल अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनियां संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं हैं और न ही उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। अत: याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने के लिए स्थान की आवश्यकता को पूरा करता है और इस नियमावली के आशय से ''घरेलू उद्योग'' होते हैं।

ङ. विविध अनुरोध

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

18. निम्नलिखित विविध अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा किये गये हैं :

i. घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के दावे का कोई आधार नहीं है। घरेलू उद्योग ने व्यापार नोटिस सं. 1/2013 के अनुरूप सभी संगत आंकड़ों की आपूर्ति की है और अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है। इसके अलावा, किसी ऐसे आंकड़ों/ सूचना/ दस्तावेज जिसे घरेलू उद्योग को उपलब्ध कराना आवश्यक था और जिसे गोपनीय के रूप में दावा किया गया है, के संबंध में कोई विशिष्ट कथन नहीं है।

ii. जांच आरंभन के लिए नियम 5 का संदर्भ लेना बहुत अधिक भ्रामक है क्योंकि वर्तमान आवेदन नियम 23 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। नियम 5 और नियम 23 के अंतर्गत दायित्व बहुत अलग अलग हैं। याचिकाकर्ता ऐसी कोई सूचना उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक है जिसे प्राधिकारी चाहता हो। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और जांच आरंभन के चरण में जिसे देखे जाने की अपेक्षा है वह यह है कि क्या शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का औचित्य दर्शाते हुए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

iii. पोलिमर इंसुलेटर के आयातों में वृद्धि का तथ्य वास्तव में उन मानदंडों में से एक है जो पाटन और क्षति की संभावना को दर्शाता हो। पाटनरोधी शुल्क का लागू रहना पोलिमर इंसुलेटरों में इस प्रकार से बहुत अधिक वृद्धि का एक मात्र कारण है और इस प्रकार से इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किये जाने से पाटित आयातों में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

iv. मैसर्स सेडिवर इंसुलेटर (शंघाई) कं. लिमि. ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपने आप को दर्ज कराने के बिना भी सुनवाई में भाग लिया। जबकि सुनवाई के समय प्राधिकारी ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण के लिए समय सीमाओं का पालन किया जाना है। लिखित अनुरोध भी इस मुद्दे पर मौन है। निर्यातक द्वारा इस तथ्य को सिद्ध किये बिना अनुरोध किया गया है कि इसमें प्राधिकारी के पास एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपने आप को पंजीकृत किया है। इसने इस नियमावली के अंतर्गत समय पर अवसर का लाभ नहीं उठाया है और आज की तारीख तक इसमें प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। *मेरिनो पैनल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* के मामले में माननीय न्यायाधिकरण ने यह माना कि जब तक कोई पक्षकार प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है, तब तक उस पक्षकार को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता। इस कारण से, उनके अनुरोधों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

i. इस याचिका का एन सी वी इस नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये दिनांक 09 दिसंबर, 2013 के व्यापार नोटिस संख्या 1/2013 में उल्लेख किये गये मानदंडों को पूरा नहीं करता है। याचिकाकर्ताओं ने क्षति के आरोपों के संबंध में सूचना को अनुचित रूप से रोका और उसे तोड़ा मरोड़ा। याचिकाकर्ताओं ने इसके संबंध में पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं कराये हैं कि क्यों

गोपनीयता का दावा किया गया था और क्यों कुछ सूचनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं था।

ii. उपलब्ध कराई गई सूचना इस नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत जांच आरंभ करने के औचित्य को दर्शाने के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत किया गया साक्ष्य "पर्याप्त साक्ष्य" होने के लिए समुचित गुणवत्ता का होना चाहिए। यूनाइटिड स्टेट – कनाडा से सोफ्टवुड लंबर; गुआटेमाला – सीमेंट ।। और मेक्सिको – स्टील पाइप एंड ट्यूब में डब्ल्यू टी ओ के पैनल पर विश्वास किया गया है। क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों की जांच अवश्य की जानी चाहिए थी।

iii. याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और इस कारण से उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और उसके साथ ही दिनांक 7 सितंबर, 2018 के व्यापार नोटिस सं. 10/2018 का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं ने पारेषण और सब स्टेशन क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्षति विवरण प्रस्तुत किया है। क्षति से संबंधित विवरणों के बारे में बिना कोई उचित आधार/ सही कारण दर्शाये बिना पूर्णरूप से गोपनीय का दावा किया गया है, जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उचित टिप्पणियां करना संभव नहीं हो पाया है। *मैसर्स मेघमनि आर्गेनिक बनाम संघ सरकार* पर विश्वास किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

20. विभिन्न विविध अनुरोधों की जांच जिन्हें संगत माना गया नीचे दिए गए अनुसार की गई है :

i. सूचना की गोपनीयता के संबंध में दिए गए तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता संबंधी दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न किये गये के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का एन सी वी उपलब्ध कराया।

ii. जहां तक मैसर्स सेडिवर इंसुलेटर के इस तर्क का प्रश्न है कि यह एक हितबद्ध पक्षकार है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित अथवा बढ़ाई गयी समयाविधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उक्त निर्यातक यह दर्शाने में सफल हो पाये हैं कि उन्होंने वर्तमान कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपने दावे को दर्ज करने के उद्देश्य से निर्धारित समय सीमाओं के भीतर एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया था। प्राधिकारी ने सभी संबंधितों को सूचना के लिए डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस आशय की आवश्यक अधिसूचना अधिसूचित की। उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान जांचों के उद्देश्यों से मैसर्स सेडिवर इंसुलेटर को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जाये।

च. बाजार अर्थव्यवस्था प्रशोधन, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

21. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित अनुरोध किया :

i. चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-। के पैरा 7 के आधार पर किया जाना चाहिए प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 और 8 के अनुसार चीन में समान्य मूल्य का निर्धारण करें।

ii. निर्यातक यह दर्शाने में सफल नहीं रहे हैं कि अनुच्छेद 15 (क) (i) के प्रावधानों के अनुरूप, विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में

बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करें।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

22. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश से संबंधित नयाचार के संगत प्रावधानों के अनुसार, पाटनरोधी कार्यवाही में 11 दिसंबर, 2016 से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा अपनाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस प्रकार की प्रथा तब से समाप्त होना आवश्यक है। यूरोपीय यूनियन के विरुद्ध चीन जन. गण. द्वारा आरंभ की किये गये फास्टनर मामले में विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय के रिपोर्ट पर विश्वास किया गया।

प्राधिकारी द्वारा जांच

23. शुरूआत के चरण में याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानकर इस पूर्वानुमान के साथ आगे की कार्यवाही की। शुरूआत के पश्चात प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/ निर्यातकों को जांच शुरूआत की सूचना का उत्तर देने और इस तथ्य के निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़े/ सूचना को सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को संगत प्रश्नावली की प्रति भेजी। हालांकि, चीन के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने इस प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

24. विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश से संबंधित न्यायाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

"गेट 1994 का अनुच्छेद VI, शुल्क और व्यापार पर सामान्य करार का अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन के संबंध में करार 1994 ("पाटनरोधी करार") और एस सी एम करार निम्नलिखित के अनुरूप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य में चीन के मूल के आयातकों को शामिल करते हुए कार्यवाहियों में लागू रहेगा :

"(क) गेट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य जांच के अधीन उद्योग के लिए या तो चीन की कीमतों अथवा लागतों या ऐसी पद्धति जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों से सही तुलना पर आधारित नहीं हो, का उपयोग करेंगे :

(i) यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हों कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में मौजूद हो, तब आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कीमत की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांच के अधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे।

(ii) आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य ऐसी कार्यपद्धति का उपयोग कर सकते हैं जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों से सही तुलना पर आधारित न हो यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से इस तथ्य को नहीं दर्शा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में तमाम उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।

(ख) एस सी एम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, जब अनुच्छेद 14 (क), 14 (ख), 14 (ग), 14 (घ) में उल्लिखित सब्सिडी का समाधान करना हो, तब एस सी एम करार का संगत प्रावधान लागू होगा; हालांकि उसके प्रयोग में यदि विशेष दिक्कतें हों तब आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान करने और उसका माप करने के लिए कार्यपद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं जो इस संभावना पर विचार करता हो कि चीन में मौजूदा शर्त और नियम उपयुक्त बेंच मार्क के रूप में हमेशा उपलब्ध नहीं रह सकता है। इस प्रकार की कार्यपद्धतियों को लागू करने में, जहां भी व्यवहार्य हो, आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य को चीन से बाहर प्रचलित शर्तों और नियमों के उपयोग पर विचार करने से पूर्व इस प्रकार की प्रचलित शर्तों और नियमों का समायोजन करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य (क) शासनरोधी प्रथाओं से संबंधित समिति को उप अनुच्छेद के अनुसार प्रयोग किये गये कार्यपद्धतियों को अधिसूचित करेंगे और (ख) सब्सिडी और प्रतिकर उपायों से संबंधित समिति को उप अनुच्छेद के अनुसार प्रयोग किये गये कार्य पद्धतियों को अधिसूचित करेगा।

(घ) जैसे ही चीन ने आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह सिद्ध किया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, उप अनुच्छेद (क) के प्रावधानों को समाप्त कर दिया जायेगा बशर्ते कि प्रवेश की तिथि का आयात करने वाला सदस्य हो। किसी भी स्थिति में उप अनुच्छेद (क) (ii) के प्रावधान प्रवेश की तिथि के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जायेंगे। इसके अलावा, यदि चीन आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यह सिद्ध करता हो की किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित स्थितियां मौजूद हैं, उप अनुच्छेद (क) का गैर बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर अब लागू नहीं होंगे"

25. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दिनांक 11.12.2016 को, 15 (क) (ii) के प्रावधान यद्यपि समाप्त हो गये हैं फिर भी प्रवेश नयाचार के 15 (क) (i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधान को एम ई टी दर्जे के संबंध में पूरक प्रश्नावली में उपलब्ध कराई गई सूचना/ आंकड़ों के माध्यम से पूरा किये जाने के लिए भारत के पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चूंकि चीन के किसी भी उत्तर देने वाले निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रशोधन प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, सामान्य मूल्य की गणना को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार देखे जाने की आवश्यकता है।

संरचित सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कार्यपद्धति

26. सबसे अधिक प्रभावी घरेलू उद्योग की लागत पर विचार संरचित सामान्य मूल्य की गणना के उद्देश्य से की गई है। 5 प्रतिशत के उपयुक्त लाभ मार्जिन को संबद्ध वस्तुओं के संरचित सामान्य मूल्य को तय करने के लिए 'ब्याज को छोड़कर बिक्री की कुल लागत' में जोड़ा गया है। इस प्रकार से संरचित सामान्य मूल्य वह है जिसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

27. केवल एक उत्पादक निर्यातक नामत: मैसर्स लिलिन हाक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं. लिमि. ने वर्तमन जांच में निर्यातक की प्रश्नावली (ई क्यू) का उत्तर प्रस्तुत किया है। इस उत्तर की जांच किये जाने से यह उजागर हुआ है कि उत्पादक ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत में प्रत्यक्ष तौर पर किया है जिसका विवरण ई क्यू आर के परिशिष्ट 3क में दिया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्यात से संबंधित आंकड़ों का विधिवत संबंध डी जी प्रणाली से प्राप्त किये गये आयात से संबंधित आंकड़ों से था। प्रस्तुत किये गये विवरण के अनुसार, कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत में पोर्सिलेयन इंसुलेटर के कुछ प्रकारों का ही निर्यात किया है। समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय भाड़े, बंदरगाह पर रख-रखाव संबंधी शुल्क, ऋण लागत, पैक करने की लागत और बैंक प्रभारों के आधार पर आवश्यक समायोजनों का दावा किया गया है और उस पर निवल (कारखानागत) निर्यात कीमत की गणना करने के लिए उचित सत्यापन (तालिका अध्ययन में) के बाद विचार किया गया था। एन ई पी की गणना पी सी एन वार की गई है। एन ई पी वही है जिसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

सी एन वी और ई पी गैर-उत्पादक उत्पादक निर्यातकों के लिए

28. चीन से गैर-प्रतिक्रियाशील उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण उत्तरदाता के निर्यात लेनदेन के आधार पर किया गया है। सहकारी निर्यातक ने भारत को कई पी सी एन के तहत आने वाले विषय वस्तुओं का निर्यात किया है। सी एन वी का निर्धारण पी सी एन के आधार पर उच्चतम सी एन वी के आधार पर किया गया है।

पाटन मार्जिन

29. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य (संरचित) और कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत से तुलना करते हुए की गई है। पाटन मार्जिन की गणना पी सी एन वार की गई है और उसका भारित औसत नीचे तालिका में दिया गया है।

	एन ई पी	सी एन वी	पाटन मार्जिन		
उत्पादक	अमरीकी डॉलर/ मि. ट.	अमरीकी डॉलर/ मि. ट.	अमरीकी डॉलर/ मि. ट.	%	रेंज
मैसर्स लिलिंग हॉक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं. लिमि.	***	***	***	***	40-50
अन्य कोई	***	***	***	***	165-175

30. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

31. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया हैं :

i. पोर्सिलेयन इंसुलेटर भारतीय उद्योग को विगत में हानि हो रही थी जिसे मूल जांच में सिद्ध किया गया था और इसके फलस्वरूप वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।

ii. पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने के साथ, भारतीय उद्योग की बिक्री में एक संक्षिप्त अवधि के लिए सुधार हुआ हालांकि प्रमुख उपयोगिता कंपनियों ने पोलिमर इंसुलेटर को ग्लास/ पोर्सिलेयन इंसुलेटर के समतुल्य मानना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप पोर्सिलेयन इंसुलेटर के बाजार हिस्से को प्रतिस्थापित करना पड़ा। आयात से संबंधित आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद ग्लास/ पोर्सिलेयन इंसुलेटर के आयातों में गिरावट के साथ पोलिमर इंसुलेटर में वृद्धि हुई।

iii. पाटनरोधी शुल्कों के उत्तर में एक प्रकार के इंसुलेटर से दूसरे प्रकार के इंसुलेटर के आयातों के पैटर्न में परिवर्तन का तथ्य मांग के अनुसार एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए चीन के उत्पादकों की क्षमता और प्रतिरोध को दर्शाता है। इसके अलावा यह भी दर्शाता है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाये तब वे पोर्सिलेयन/ ग्लास इंसुलेटर की ओर वापिस जा सकते हैं। घरेलू उद्योग ने संबंधित प्राधिकारी को अलग अलग परिवेश संबंधी स्थितियों से निपटने के लिए उनके अलग अलग विनिर्देशनों को देखते हुए पोलिमर और पोर्सिलेयन/ ग्लास इंसुलेटर के बीच अंतर स्थापित करने के लिए अनुरोध किया जिसे प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार्य पाया गया है। इस प्रकार से यह आशा की जाती है कि ग्लास/ पोर्सिलेयन इंसुलेटरों के लिए मांग का मौजूद होना जारी रहेगा और भविष्य में इसमें वृद्धि होगी।

iv. जब आयातों की मात्रा में गिरावट भी हुई है तब वह पाटित और प्रतिकारक कीमतों पर हुई है।

v. उत्पादन और खपत दोनों के मामले में आयातों ने क्षति की पूरी अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी है। कुल आयातों में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 2016-17 तक गिरावट आई और पुन: जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई। संबद्ध देश से आयातों का कुल आयातों में 87 प्रतिशत का अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अन्य देश चीन के उत्पादकों द्वारा अपनाई जा रही कीमत निर्धारण के प्रकार के कारण भारतीय बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री भी नहीं करते हैं।

vi. कर पूर्व लाभ में इस तथ्य को देखते हुए पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने के बाद भी क्षति की अवधि की तुलना में गिरावट आई है कि बाजार ने पोलिमर इंसुलेटर के आयातों के साथ बाजार में तोड़ मरोड़ की है।

vii. नकद लाभ में आधार वर्ष से धीरे धीरे वृद्धि हुई लेकिन तब उसमें तेजी से गिरावट आई है। निवेश पर आय ने नकद लाभ के रूप उन्हीं प्रवृत्तियों को अपनाया है जहां आधार वर्ष से मामूली वृद्धि हुई थी, तब उसमें अचानक गिरावट आई थी।

viii. औसत माल भंडार में वृद्धि हुई है। आदेश आधारित उद्योग के बावजूद, घरेलू उद्योग ने आदेशों की प्रत्याशा में उत्पादन किया है क्योंकि इनको जब भी आवश्यक हो, रोका नहीं जा सकता है और आरंभ नहीं किया जा सकता है। आदेशों के अभाव में, क्षति के अवधि के दौरान माल भंडार इकट्ठा हो गया है।

ix. वर्तमान मांग और बाजार की स्थिति को देखते हुए घरेलू उद्योग और आगे निवेश करने की स्थिति में नहीं है। सर्वप्रथम ग्लास इंसुलेटर का पाटन और उसके पश्चात पोलिमर इंसुलेटर अब उद्योग को नये निवेश करने से रोक रहा है। इस उत्पाद का सतत पाटन के कारण भारतीय उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है जो किसी समय में इस उत्पाद का एक प्रमुख निर्यातक होता था।

x. भेल का इंसुलेटर के उत्पादन के लिए दो संयंत्र हैं और उसकी कुल क्षमता 12,000 मी. ट. इंसुलेटर का उत्पादन करने की है। इन संयंत्रों में से एक संयंत्र ने देश में ग्लास और पोर्सिलेयन इंसुलेटर के पाटन जिससे बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई है, के कारण उत्पादन को स्थगित कर दिया है और कंपनी हो रही क्षति को नहीं सह सकती है और इसके बजाय उसने अपने बंग्लौर संयंत्र में उत्पादन स्थगित करने का निर्णय लिया।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है :

i. याचिकाकर्ता कंपनियों की बिक्री में 18 महीने की जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष 2014-15 के दौरान 55,993 मी. ट. से 85,353 मी. ट. तक वृद्धि हुई है। इसके विपरीत संबद्ध देश के आयातों में मांग में गिरावट के साथ जांच की अवधि के दौरान ही वर्ष 2014-15 के दौरान 36,357 मी. ट. से 93 प्रतिशत कम होकर 2,214 मी. ट. हो गया है। भारत में संबद्ध वस्तुओं की कुल मांग आधार वर्ष 2014-15 के दौरान 114,467 मी. ट. से घटकर जांच की अवधि के दौरान 110,026 मी. ट. हो गयी है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण संबद्ध वस्तुओं के आयातों को नहीं माना जा सकता है बल्कि इसका कारण पोलिमर इंसुलेटर का आयात है।

ii. बाजार की मांग में संबद्ध आयातों के हिस्से में बहुत अधिक गिरावट आई है जबकि पोलिमर इंसुलेटर के आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से इस प्रकार के मामूली हिस्से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं।

iii. बिक्री की लागत में मामूली रूप में वृद्धि हुई है जबकि बिक्री की कीमत स्थिर है। लागत में परिवर्तन का प्रभाव बिक्री की कीमत पर नहीं पड़ा है जिसका आशय यह है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत में कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता ने संशोधित याचिका में पहुंच कीमत से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इस कारण से उसकी तुलना मूल याचिका में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर की गई है। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत में बिक्री की लागत में वृद्धि के साथ बढ़ोतरी हो रही है।

iv. पहुंच कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कीमत में कटौती में कमी आई है (18 महीने की जांच की अवधि से आधार वर्ष की तुलना)।

v. याचिकाकर्ताओं की बिक्री की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। निर्यात आंकड़ों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है(18 महीने की जांच की अवधि से आधार वर्ष की तुलना)।

vi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट का कारण चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं है; यह पोलिमर इंसुलेटर का आयात है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

vii. पोलिमर इंसुलेटर का बढ़ा हुए उपयोग वास्तव में बाजार में खपत के पैटर्न में परिवर्तन को दर्शाता ही है। पी जी सी आई एल ने भारत में सबसे बड़े उत्पादक के रूप में पोलिमर इंसुलेटर का विचाराधीन उत्पाद से परिवर्तित किया है। इसका उपभोग के पैटर्न में बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में अवश्य व्याख्या की जानी चाहिए। इस प्रकार से क्षति और संबद्ध आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

viii. याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद और पोलिमर इंसुलेटर के संयुक्त बाजार हिस्से का विश्लेषण करने के बाद इन आंकड़ों में तोड़ मरोड़ करने का प्रयास किया है। अभी भी ये आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देश के बाजार हिस्से में बहुत अधिक गिरावट हुई है और याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से अपरिवर्तित रहे हैं।

ix. क्षति के कीमत संबंधी मानदंडों पर, निर्यातक को संगत अनुरोध करने से रोका जाता है क्योंकि सब स्टेशन और पारेषण इंसुलेटरों के लिए अलग अलग आंकड़े अगोपनीय रूप में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा दिये गये कथन यह दर्शाते हैं कि इस अवधि में याचिकाकर्ताओं को हो रही कोई क्षति का पूर्ण रूप से संबद्ध आयातों से संबद्ध नहीं है।

x. घरेलू उद्योग को कथित रूप से हुई कोई क्षति संबंधित देश से आयातों को छोड़कर अन्य कारणों से हुई है, गैर आरोपण विश्लेषण का पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए अथवा पाटित आयातों को छोड़कर कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को बाहर किया जाना चाहिए।

xi. यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को बाजार में प्रवृत्ति के बदलाव के द्वारा बहुत अधिक क्षति हुई है, प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद पर शुल्कों को जारी नहीं रखना चाहिए और याचिकाकर्ता को पोलिमर इंसुलेटर के संबंध में एक नया आवेदन अथवा विचाराधीन उत्पाद और पोलिमर इंसुलेटर के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी द्वारा इसके बाद किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

(i) पाटनरोधी नियमावली का इसके अनुबंध - ।। के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ". . . पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए . . ." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।

(ii) डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा

भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

(iii) सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाये गये पाटनरोधी शुल्क यदि उसे पूर्व में समाप्त नहीं किया गया हो इस प्रकार से लगाये जाने की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जायेगा बशर्ते की यदि केंद्र सरकार इसकी समीक्षा में इस मत पर पहुंचती हो कि इस प्रकार के शुल्क को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, यह समय समय पर आगे 5 वर्षों के समय के लिए ऐसे अधिरोपण की अवधि का विस्तार कर सकती है और इस प्रकार की आगे की अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तिथि से आरंभ होगी।

(iv) भारत में घरेलू उद्योगों पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने ऐसे सूचकांकों पर विचार किया है जिसका उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध ।। (iv) के अनुसार उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन के रूप में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।

(v) इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने के लिए कार्यवाही करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो की जांच करने की कार्यवाही करते हैं।

झ. मात्रा का प्रभाव

i. मांग का आंकलन

34. प्राधिकारी ने वर्तमन जांच के उद्देश्य से सभी स्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में भारत में इस प्रकार की मांग अथवा स्पष्ट खपत को परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए इस प्रकार से आकलित मांग नीचे दी गई है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि क
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	55,993	59,357	56,186	56,902
2	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	22,097	30,411	19,955	14,747
3	संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	36,357	9,412	3,006	1,476
4	अन्य देशों से आयात	मी. ट.	20	39	1,242	225
5	कुल मांग	मी. ट.	1,14,466	99,219	80,388	73,351

35. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि की तुलना में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग और उत्तर देने वाले निर्यातक दोनों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग पारेषण क्षेत्र में पोलिमर इंसुलेटर द्वारा ले ली गई है। यह उल्लेख किया गया है कि कुछ उपभोक्ताओं (प्राथमिक रूप से पी जी सी आई एल) ने पोलिमर और विचाराधीन उत्पाद का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करना शुरू कर दिया था। यह देखा

गया है कि भारतीय उत्पादकों की पोलिमर इंसुलेटर के आयात और पोलिमर इंसुलेटर की बिक्री में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिसे नीचे दर्शाया गया है -

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि क
पोर्सिलेयन इंसुलेटर						
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	रु. लाख	***	***	***	***
2	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	रु. लाख	***	***	***	***
3	संबद्ध देशों से आयात	रु. लाख	28,205	8,089	2,398	1,732
4	अन्य देशों से आयात	रु. लाख	25	67	1,448	239
पोलिमर इंसुलेटर						
5	चीन से पोलीमर इंसुलेटर का आयात	रु. लाख	11,004	10,763	14,910	14,771
6	भारतीय उत्पादकों की बिक्री – पालीमर	रु. लाख	***	***	***	***

ii. आयात की मात्रा और बाजार का हिस्सा

36. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अथवा स्वतंत्र रूप में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका आयात की मात्राओं और बाजार के हिस्से के संबंध में इन आंकड़ों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि क
1	संबद्ध देश – चीन	मी. ट.	36,357	9,412	3,006	1,476
2	अन्य देश	मी. ट.	20	39	1,242	225
3	कुल	मी. ट.	36,376	9,451	4,248	1,702
4	संबद्ध देश – चीन	%	100%	100%	71%	87%
5	अन्य देश	%	0%	0%	29%	13%
6	कुल	%	100%	100%	100%	100%
7	निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश का आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	41.21%	9.14%	3.38%	1.76%
ख	भारतीय मांग	%	31.76%	9.49%	3.74%	2.01%

37. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों में क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई है। उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध आयातों में भी पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने को देखते हुए क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई। चूंकि गिरावट के लिए कारण जिसका उल्लेख घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है पोर्सिलेयन/ ग्लास इंसुलेटर की मांग के बजाय पोलिमर इंसुलेटर की मांग होना है।

38. विचाराधीन उत्पाद को अंतिम उपयोग के आधार पर प्रमुख रूप से दो श्रेणियों नामत: ''पारेषण लाइन इंसुलेटर'' और ''सब स्टेशन इंसुलेटर'' में अलग अलग किया जा सकता है जिसे आगे तकनीकी विनिर्देशों के आधार पर विभिन्न पी सी एन में अलग अलग किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पारेषण क्षेत्र में आयातों की मात्रा में तेजी से गिरावट आई जबकि सब स्टेशन क्षेत्र में इसमें वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा किये गये दावे के अनुसार, जैसा कि आयात के आंकड़ों से स्पष्ट है, पारेषण क्षेत्र में बाजार की मांग अस्थायी रूप से पोलिमर इंसुलेटर की ओर परिवर्तित हो गई थी जो धीरे धीरे पोर्सिलेयन/ ग्लास इंसुलेटर की ओर आ रहा है और उसके माध्यम से वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता आवश्यक है।

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**जांच की अवधि क**
1	हस्तांतरण क्षेत्र में आयात	मी. ट.	35,332	8,595	2,313	-
2	सब स्टेशन क्षेत्र में आयात	मी. ट.	80	212	413	720

iii. कीमत का प्रभाव

क. कीमत में कटौती

39. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में तमाम उत्पाद की कीमत से तुलना किये जाने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा ऐसे क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ता अथवा कीमत वृद्धि रूक जाती जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक हुई होती। इस संबंध में, इस उत्पाद का पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत जिसमें व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और कर शामिल हैं, से भी तुलना की गई है।

40. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। डी जी सी आई एस आंकड़ों के आधार पर गणना की गई कीमत में कटौती नीचे दी गई है :

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**जांच की अवधि**
1	पहुंच मूल्य	रु./ किग्रा.	83.06	91.55	85.20	127.67
2	निबल बिक्री कीमत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
3	कीमत में कटौती	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
4	कीमत में कटौती	रेंज %	60%-70%	55%-65%	60%-70%	5%-15%

41. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है जो इस तथ्य के कारण हुई है कि पूर्व के वर्षों के दौरान, इन आयातों में पारेषण लाइन के लिए अधिकांशत: डिस्क इंसुलेटर होते थे जिनकी कीमत जांच की अवधि के दौरान आयात किये जा रहे सब स्टेशन के लिए खोखले इंसुलेटरों की तुलना में कम होती थी। हालांकि, आयात की गई संबद्ध वस्तु अभी भी उन कीमतों पर हैं जो घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम है (कुल मिलाकर पारेषण और सब स्टेशन लाइन के लिए इंसुलेटर सहित) इस प्रकार से संबद्ध देश से आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक सीमा तक कटौती हो रही है।

ख. कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास

42. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा उसमें ह्रास हो रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से काफी हद तक कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से काफी हद तक हुई होती, याचिकाकर्ता ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है। यह स्थिति नीचे तालिका के अनुसार दर्शायी गई है :

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**जांच की अवधि क**
1	पहुंच मूल्य	रु./ किग्रा.	83.06	91.55	85.20	127.67
2	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	100	110	103	154
3	बिक्री की लागत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
4	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*98*	*104*	*106*
5	बिक्री कीमत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
6	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*

43. यह देखा गया है कि बिक्री कीमत जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत के स्तर से कम है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत क्षति की समग्र अवधि के दौरान बिक्री की लागत से कम है जिससे घरेलू उद्योग इन कीमतों को लाभप्रद स्तर से कम रखने पर बाध्य हुआ। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान कीमत पर ह्रास का सामना कर रहा है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

44. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम पर हो रहे हैं उन्होंने डी जी सी आई एस आंकड़ों से संबद्ध आयातों की पहुंच से क्षति रहित कीमत की तुलना कर कम कीमत पर बिक्री का दावा किया है। यह निर्णय लिया गया था कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध आयातों के प्रभाव की जांच की जाये। इस कारण से घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत की गणना यूनिट वार की गई है और भारित औसत तय किया गया है ताकि इसकी तुलना आयातों की पहुंच से की जा सके। यह देखा गया है कि कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है और बहुत अधिक है।

एन आई पी	**पहुंच मूल्य**	**कम कीमत पर बिक्री**	**कम कीमत पर बिक्री**
अमरीकी डॉलर/ मी. ट.	अमरीकी डॉलर/ मी. ट.	अमरीकी डॉलर/ मी. ट.	**%**
***	***	***	10-20

II. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

45. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - ।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादों के इन आयातों के परिणामी परिणाम के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिसका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव

पड़ता हो, जिसमें बिक्री में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग शामिल है; घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन के मार्जिन का आकार, नकदी के प्रभाव पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

46. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण यहां नीचे किया गया है:

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा

47. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता में उपयोग नीचे दिये गये अनुसार हुआ है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि क
1	क्षमता	मी. ट.	85,059	85,059	88,726	84,639
2	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*104*	*100*
3	उत्पादन	मी. ट.	66,130	72,609	68,940	69,217
4	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*104*	*105*
5	क्षमता का उपयोग	%	78%	85%	78%	82%
6	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*100*	*105*
7	घरेलू बिक्री की मात्रा	मी. ट.	55,993	59,357	56,186	56,902
8	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*100*	*102*

48. यह देखा गया है कि :

i. घरेलू उद्योग की क्षमता भट्ठे की बाधा समाप्त किए जाने के कारण 2016-17 में आंशिक वृद्धि के साथ क्षति की समग्र अवधि के दौरान एक जैसी रही और भट्ठे में से एक भट्ठे का निपटारा किये जाने के कारण जांच की अवधि के दौरान इसमें आंशिक गिरावट आई।

ii. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन 2015-16 में सबसे अधिक था और उसमें उसके बाद गिरावट आई।

iii. क्षमता का उपयोग और बिक्री की प्रवृत्ति वही रही है जो उत्पादन की थी ।

क) मांग में बाजार हिस्सा

49. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे दर्शाये गये अनुसार है :

क्र. सं.	मांग में बाजार का हिस्सा	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	48.92%	59.82%	69.89%	77.58%
2	अन्य भारतीय उत्पादक	%	19.30%	30.65%	24.82%	20.11%
3	संबद्ध देश	%	31.76%	9.49%	3.74%	2.01%

4	अन्य देश	%	0.02%	0.04%	1.55%	0.31%
5	कुल		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

50. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से के साथ सतत् रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देश के आयातों के बाजार हिस्से में संबद्ध वस्तुओं पर लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण गिरावट आई।

ख) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

51. लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिए गए अनुसार है :

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**जांच की अवधि क**
1	बिक्री की लागत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
2	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*98*	*104*	*106*
3	बिक्री की कीमत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
4	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	लाभ/ (हानि)	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
6	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*128*	*15*	*(25)*
7	लाभ/ (हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
8	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*136*	*15*	*(26)*
9	पी बी आई टी	रु. लाख	***	***	***	***
10	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*108*	*58*	*32*
11	नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
12	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*118*	*54*	*29*
13	नियोजित पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
14	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*117*	*64*	*34*

52. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभ में क्षति की अवधि की तुलना में बहुत अधिक गिरावट आई। घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भी क्षति की समग्र अवधि की तुलना में बहुत अधिक गिरावट आई है।

ग) माल भंडार

53. घरेलू उद्योग के पास माल भंडार नीचे दिए गए अनुसार है :

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**जांच की अवधि क**

1	औसत भंडार	मी. ट.	6,377	6,676	7,653	9,605
2	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*105*	*120*	*151*

54. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत भंडार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

घ) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

55. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिए गए अनुसार है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि क
1	प्रतिदिन उत्पादकता	मी. ट./ दिन	189	207	197	198
2	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*104*	*105*
3	रोजगार	सं.	***	***	***	***
4	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*106*	*106*
5	मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
6	*प्रवृत्ति*	*सूचीबद्ध*	*100*	*117*	*120*	*122*

56. कर्मचारी और प्रतिदिन उत्पादकता में क्षति की अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है। रोजगार और मजूदरी घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रतिकूल प्रभावों को नहीं दर्शाता है क्योंकि इन कारकों को कंपनी के समग्र क्रियाकलाप और अर्थव्यवस्था द्वारा शासित किया जाता है।

ङ) पाटन का आकार

57. पाटन का आकार उस सीमा का एक संकेतक है जिस सीमा तक भारत में आयातों का पाटन किया जा रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन वर्तमान जांच में सकारात्मक और अधिक है।

च) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

58. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि इस उत्पाद के सतत् पाटन का घरेलू उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और इससे विस्तार एवं निवेशों की उनकी योजना पर भी प्रभाव पड़ा है।

छ) क्षति का आकार और क्षति मार्जिन

59. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।।। के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग की सत्यापित सूचना के आधार पर तय की गई है। क्षति रहित कीमत की गणना घरेलू उद्योग के संघटक में से एक संघटक द्वारा उत्पादन किये गये पी सी एन में से प्रत्येक के लिए परिकलित की गई है। बाद में प्रत्येक पीसीएन के लिए भारित औसत की गणना की गई है और उसी की तुलना चीन से आने वाले निर्माता निर्यातक द्वारा प्रासंगिक आयात के भूमि के मूल्य के साथ की गई है। अवशिष्ट श्रेणी के लिए, भूमि का मूल्य सहकारी निर्यातक के लेनदेन के आधार पर निर्धारित किया गया है। पीसीएन के लिए एनआईपी सबसे अधिक कीमत पर लिया गया है। संबद्ध देश के उत्तर देने वाले उत्पादक/ निर्यातक (मैसर्स लिलिंग हाक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं. लिमि.) और अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए क्षति के मार्जिन के भारित औसत की गणना नीचे दिए गए अनुसार है :

	एन आई पी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन

उत्पादक	अमरीकी डालर/ मी. टन्	अमरीकी डालर/ मी. टन्	अमरीकी डालर/ मी. टन्	%	रेंज
मैसर्स लिलिंग हॉक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं. लिमि.	***	***	***	***	30-40
अन्य कोई	***	***	***	***	135-145

60. यह देखा गया है कि संबद्ध देश के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक और अधिक है।

घरेलू कीमत पर प्रभाव डालने वाले कारक

61. आयात कीमतों का घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा था और इसमें ह्रास हुआ था जिसके फलस्वरूप उन्हें वित्तीय हानि हुई। संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं से आयात बहुत कम मात्रा में हुआ है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है। इस उत्पाद के लिए मांग बहुत अधिक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शा रहा है और इस कारण से घरेलू उद्योग द्वारा सामना किये जा रहे कीमत न्यूनीकरण और ह्रास के लिए जिम्मेदार कारक नहीं हो सकता था। उसको देखते हुए, कथित पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमत संरचना में हस्तक्षेप कर रहा है।

क्षति के संबंध में निष्कर्ष

62. इस प्रकार से यह देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के समग्र आयातों में गिरावट आई है। आयात से संबंधित आंकड़ों की विस्तृत जांच यह दर्शाती है कि सब स्टेशन क्षेत्र में आयातों में इस अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है जबकि पारेषण लाइन क्षेत्र में आयातों में तेजी से गिरावट आई है जो इस तथ्य के कारण हुआ है कि पोर्सिलेयन पारेषण इंसुलेटर को पोलिमर इंसुलेटर के आयातों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ये आयात पाटित और प्रतिकारक कीमतों पर घरेलू बाजार में अब भी प्रवेश कर रहे हैं। घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री के मामले में कार्य निष्पादन सतत् रहा है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को मात्रा के संबंध में कोई क्षति नहीं हुई है। हालांकि, घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर लाभ में ऋणात्मक वृद्धि और आधार वर्ष तथा तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और ब्याज एवं कर पूर्व लाभ में गिरावट को दर्शा रहा है। आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमत पर हो रही है और इसमें कटौती हो रही है तथा कीमतों पर दबाव भी पड़ रहा है। इस प्रकार से प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

63. प्राधिकारी ने निम्नलिखित कारण कार्य संबंध और गैर-आरोपण कारकों के विश्लेषण के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये मुद्दों की जांच की है :

अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा और कीमतें

64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रूस को छोड़कर अन्य देशों से आयात मामूली रहा है और इस प्रकार से वह ऐसा कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो। जहां तक रूस का प्रश्न है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि वह जांच की अवधि के बहुत पहले किये गये आदेश का हिस्सा है।

पोलिमर इंसुलेटरों का आयात

प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में वर्तमान समीक्षा जांच में पोलिमर इंसुलेटर को शामिल नहीं किया जाये और उसी विचाराधीन उत्पाद को जारी रखा जाये जिसे मूल जांच में अधिसूचित किया गया था। वर्तमान समीक्षा जांच में पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन की जांच विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए की गई थी जिसका विवरण उपर्युक्त संगत अनुच्छेदों में किया गया है। इस प्रकार से परिकलित मार्जिन में

पोलिमर इंसुलेटर के आयात शामिल नहीं होते हैं और इस कारण से उसका परिणाम इस तथ्य पर विचार किये बिना होता है कि क्या पोलिमर इंसुलेटरों का आयात किया जा रहा है अथवा नहीं।

मांग में संकुचन और उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन

65. संबद्ध वस्तुओं की मांग में मुख्य रूप से पोर्सिलेयन/ ग्लास इंसुलेटर के कम किये गये आयातों की तुलना में गिरावट आई है जिसका कारण लागू पाटनरोधी शुल्क है। पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने के बाद स्पष्ट रूप से पोलिमर इंसुलेटर की ओर परिवर्तन हुआ है। यदि इन शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तब इस बात की संभावना है कि पोर्सिलेयन/ ग्लास इंसुलेटरों के आयातों में वृद्धि होगी जिसका समर्थन घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये इन तथ्यों के द्वारा की गई है कि उपभोक्ताओं ने पूर्व के समय जब उनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा था के विपरीत पोर्सिलेयन और पोलिमर इंसुलेटर के बीच अंतर करना आरंभ कर दिया है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं एवं उनके बीच प्रतिस्पर्धा

66. इन वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है और इन वस्तुओं का आयात संबद्ध देशों सहित विभिन्न देशों से किया जा रहा है। व्यापार प्रतिबंधात्मक अथवा प्रतियोगितारोधी प्रथाओं का कोई भी साक्ष्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा जांच की अवधि के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रौद्योगिकी में विकास

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच में यह नहीं दर्शाया है कि प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ था जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई होगी।

घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

68. याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में निर्यात के मामले में गिरावट नहीं आई है। हालांकि, यहां निर्यात कार्य निष्पादन संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य निष्पादन के कारण क्षति का विश्लेषण और क्षति के लिए घरेलू उद्योग के घरेलू कार्य निष्पादन पर भी विचार किया है और पाटित आयातों को इसका कारण नहीं माना गया है।

कारणात्मक संबंध एवं गैर आरोपण विश्लेषण के संबंध में निष्कर्ष

69. प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति सतत् पाटित आयातों के कारण हुआ है। लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटित कीमतों पर आयातों का होना जारी है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत/ उचित कीमत से बहुत कम है और भारत में आ रहे कम कीमत पर पाटित आयातों के कारण बहुत अधिक कम कीमत पर बिक्री हो रही है। नियोजित पूंजी पर लाभ और उन लाभों में कमी आई है जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि में वित्तीय हानि हुई और नकद लाभ में कमी आई। इस कारण से यह जांच इस तथ्य को दर्शाता है कि संबद्ध देश संबद्ध वस्तुओं का पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होती रही जिसे इस जांच में देखा जा सकता है। गैर आरोपण विश्लेषण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दर्शाता है और यह किसी अन्य कारणों से नहीं हुआ था। संबद्ध देश के लिए सिद्ध की गई जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन है।

झ. संभावना का विश्लेषण

70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और नियम 23 के मामले में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया गया होता तब सतत् पाटन और परिणामी क्षति की संभावना की स्थिति की जांच करें।

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

71. घरेलू उद्योग इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये थे :

i. चीन के निर्यातों में पोर्सिलेयन और ग्लास इंसुलेटरों से पोलिमर इंसुलेटरों की ओर विपथन हुआ है घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से लगातार क्षति हो रही है यद्यपि आयातों की मात्रा में पोर्सिलेयन/ ग्लास इंसुलेटरों से पोलिमर इंसुलेटर की ओर निर्यात के विपथन के कारण कमी आई है जिसका उपयोग पी

जी सी आई एल द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है। शुल्क लगाने के फलस्वरूप पोलिमर इंसुलेटरों के उपयोग में वृद्धि हुई है।

ii. कार्बन वेलेड स्टील पाइप के आयातों के संबंध में जांच की संख्या करने के बारे में दिनांक मार्च, 2019 के कनाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायाधीकरण द्वारा हाल में दिये गये एक फैसले में कनाड़ा के प्राधिकारी ने "घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों" का पता लगाने के बावजूद इन उपायों को जारी रखा। अन्य कारक जिनसे क्षति हो रही है, पर भी विचार इन उपायों को जारी रखने के लिए मानदंडों और औचित्य के रूप में किया गया था।

iii. शुल्क लगाये जाने के बाद आयातों में गिरावट और ऐसे आयातों में घनात्मक पाटन मार्जिन का आशय यह है कि शुल्क को वापस लिये जाने की स्थिति में पाटन की संभावना है और यह अपने आप में पाटनरोधी शुल्क के विस्तार को न्यायोचित ठहराता है। निर्णायक समीक्षा जांच करने और अन्य अधिकार क्षेत्रों में जांच करने वाले प्राधिकारियों के निष्कर्षों और निर्णयों के संबंध में अमरिकी नीति का संदर्भ लिया गया।

iv. भारत तथा अन्य देशों में पाटन का एक इतिहास रहा है। भारतीय उद्योग को पूर्व की जांचों के समय पाटन के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा। मूल जांच के समय, जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा देखा गया, आयातों में कम आयात कीमतों पर बहुत अधिक वृद्धि हुई। शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि आयातों में वृद्धि होगी जिसे अभी भी पाटित कीमतों पर मात्राओं में बहुत अधिक गिरावट आई है।

v. चीन से विश्व में निर्यातों में अत्यधिक समग्र वृद्धि हुई है, संबद्ध वस्तुओं के एक निवल आयातक होने से लेकर चीन संबद्ध वस्तुओं का एक निवल निर्यातक हो गया है। चीन अब बहुत अधिक संख्या में इंसुलेटर के आपूर्तिकर्ता के साथ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का निर्माण करने का विश्व का सबसे बड़ा स्थान हो गया है। पिछले 13 वर्षों में विश्व में चीन का निर्यात 2017-18 में लगभग 650 गुणा बढ़ गया है।

vi. विचाराधीन उत्पाद का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। इसका वर्तमान निर्यात 150 मिलियन अमरीकी डॉलर की भारतीय मांग की तुलना में 360 मिलियन अमरीकी डॉलर है। चीन के उत्पादकों का निर्यात पर बहुत अधिक ध्यान है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को नहीं बढ़ाया जाता है तब यह चीन के उत्पादकों को बहुत अधिक बाजार अवसर उपलब्ध करायेगा जो पहले से ही भारत में पोलिमर इंसुलेटरों की बहुत अधिक मात्रा में बिक्री कर रहा है। विश्व के शेष हिस्से में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की मात्रा 2008-09 से आज की तारीख तक सतत् रूप से बढ़ती रही है जो घरेलू उद्योग के निर्यात उन्मुखीकरण में सतत् वृद्धि हो दर्शा रहा है।

vii. क्षति की अवधि के दौरान विश्वभर में अनेक देशों में चीन के निर्यातों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि चीन के उत्पादकों ने घरेलू उद्योग के सामान्य मूल्य, बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से बहुत कम कीमत पर अनेक देशों में ग्लास और पोलिमर इंसुलेटरों का निर्यात किया है। शुल्कों को समाप्त किये जाने पर, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कम कीमत वाली मात्रा भारत में अपेक्षाकृत और सस्ती कीमतों पर भेजी जायेगी।

viii. यदि भारत में निर्यात की कीमत वैश्विक रूप से अलग अलग देशों से तुलना की जाती है तब यह देखा जायेगा कि काफी अधिक मात्रा में निर्यात विश्व स्तर पर उस कीमत पर किया गया है जो बहुत कम है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

72. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. प्राधिकारी से यह आकलन करना अपेक्षित है कि क्या शुल्कों की आसन्न समाप्ति के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। याचिकाकर्ताओं ने पाटन के जारी रहने लेकिन क्षति के न होने का आरोप लगाया है। इसके फलस्वरूप, वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध में

विच्छेद हुआ है। इस कारण से प्राधिकारी को अब यह आकलन करना है कि क्या शुल्कों के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति फिर से होगी।

ii. आयातों में क्षति की अवधि में 90 प्रतिशत से अधिक तक गिरावट आई है। इस कारण से यह दर्शाने के लिए वर्तमान में कोई आधार नहीं है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाये तब पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि होगी।

iii. याचिकाकर्ताओं ने चीन में अधिक क्षमताओं के संबंध में खोखले और पुष्ट न किये गये दावे किये हैं। केवल इस कारण से की भारत में आयातों में कमी है, यह नहीं माना जा सकता है कि चीन में क्षमताओं का उपयोग अन्य देशों में निर्यात के लिए नहीं किया जा रहा है।

iv. पारेषण और सब-स्टेशन इंसुलेटरों के लिए कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास का अलग से आकलन किये गये बिना, हम इस मुद्दे पर विस्तृत टिप्पणियां करने में सक्षम नहीं हैं। पूर्वाग्रह के बिना यह नोट किया जाये कि संबद्ध आयातों के कारण क्षति का न होना याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही मान लिया गया है।

v. इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए यही काफी नहीं है कि क्या भारत पहले से ही कीमत के मामले में आकर्षक बाजार है बल्कि इसके बजाय यह कि क्या भारत इन शुल्कों को समाप्त होने देने की स्थिति में कीमत के मामले में आकर्षक बाजार बन जायेगा। भारत को छोड़कर अन्य देशों में चीन के निर्यातों का विश्लेषण किया गया है। दिये गये आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर चीन से निर्यातों का 90 प्रतिशत से अधिक उस कीमत पर हुआ जो पर्याप्त रूप से भारत में इस कीमत की तुलना में कम है। भारत चीन में अनेक प्रमुख उत्पादकों के लिए कीमत के मामले में बहुत अधिक आकर्षक बाजार पहले से ही है। यदि याचिकाकर्ता के तर्क पर विश्वास किया जाये तब भारत में आयात की मात्रा क्षति के अवधि के दौरान कम से कम उन उत्पादकों से जिनका यू एस डॉलर 1400 प्रति मी. ट. से कम मार्जिन है, से पहले से ही बढ़ता रहना चाहिए था। फिर भी, संबद्ध आयातों में गिरावट आई है। इस कारण से यह मानने का कोई कारण नहीं है कि शुल्कों की समाप्ति से इस परिदृश्य में बहुत बड़ा अंतर आयेगा।

vi. किसी भावी क्षति से घरेलू उद्योग की नई बोली अपेक्षाएं रक्षा करती है, भारत में कारखाना स्थापित करने और उस कारखाने के 25 प्रतिशत की मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निविदाओं में विदेशी कंपनियों द्वारा लगाई गई बोलियों के लिए एक अतिरिक्त स्थिति बनी। स्थानीय निवेश स्थानीय मात्रा का उपयोग की इन अतिरिक्त अपेक्षाओं से संबंधित निविदाओं से विदेशी बोली लगाने वालों को दूर किया गया है क्योंकि अनेक निर्यातक भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। जैसे ही शुल्क समाप्त होगा यह भारतीय निर्माताओं के संरक्षण के लिए एक अतिरिक्त तंत्र बनायेगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

73. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है और प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना की जांच करनी है। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध ।। (vii) के संबंध में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच की। इस नियमावली के अनुबंध ।। के नियम (vii) में निम्नलिखित कारकों का प्रावधान है।

क) सतत् और मौजूदा पाटन

74. जबकि संबद्ध देश से इस उत्पाद के समग्र आयातों में क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई है, पारेषण इंसुलेटरों का आयात लगभग समाप्त हो गया है जबकि सब-स्टेशन इंसुलेटरों के आयातों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सब-स्टेशन इंसुलेटरों के आयातों की कीमत में गिरावट आई है। पारेषण इंसुलेटरों के आयातों गिरावट इस कारण से हुई थी कि प्रमुख उपभोक्ताओं में से एक उपभोकृता ने इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किये जाने लायक मानते हुए पोलिमर इंसुलेटरों को अपनाया है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य पोलिमर इंसुलेटरों के उपयोग के संबंध में प्रकार में विचार किये जाने तथा इन दोनों उत्पादों का अंतर संबंधी उपयोग के संबंध में संबंधित सरकारी प्राधिकारियों के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

75. वर्तमान अवधि में आयात पाटित और प्रतिकारक कीमतों पर हुआ है। इस प्रकार से, एक ओर पोर्सिलेयन/ ग्लास से पोलिमर इंसुलेटर की ओर आयातों का होना तथा दूसरी ओर बढ़ती हुई मात्रा के साथ सब-स्टेशन इंसुलेटरों के आयातों में सकारात्मक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन हुआ है और इसके साथ ही पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तुओं के आयात में बहुत अधिक वृद्धि की संभावना दर्शाती है। यह भी नोट किया जाता है कि उत्तर देने वाले उत्पादक – निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन मूल जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि चीन के अन्य उत्पादकों ने असहयोग को वरियता दी है।

76. भारत में वर्तमान पहुंच कीमत पर, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क पर विचार किये बिना जांच की अवधि के दौरान कीमत में सकारात्मक कटौती हुई है। बिक्री कीमत स्तर बिक्री की लागत के स्तर से कम है। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत के स्तर से कम रही है। इस प्रकार से यह संभव है कि इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ेगा और वह कम हो जायेगी जिसके फलस्वरूप पाटित कीमतों पर आयातों में वृद्धि होगी।

ख) उत्पादन क्षमताएं और निर्यात उन्मुखीकरण

77. घरेलू उद्योग ने भारत में तथा विश्व के शेष भाग में (व्यापार नक्शा आंकड़े) के संबंध में संबद्ध देश के सीमा शुल्क आंकड़े उपलब्ध कराये हैं जो भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए बहुत अधिक क्षमताओं को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि चीन से विश्व में निर्यात बहुत अधिक हुआ है जो चीन से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए चीन के उत्पादकों की एक गहन क्षमता को दर्शाता है।

78. घरेलू उद्योग ने इसके संबंध में साक्ष्य देने वाले आंकड़े प्रस्तुत किये हैं कि चीन कुछ वर्ष पहले तक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का यह निवल आयातक था। धीरे धीरे चीन ने विचाराधीन उत्पाद के लिए पर्याप्त क्षमताएं तैयार की हैं और बहुत कम समयावधि में निवल आयातक से धीरे धीरे निवल निर्यातक बन गया है। विश्व को पिछले 13 वर्षों में चीन द्वारा किये गये निर्यात नीचे तालिका में दिये गये अनुसार है :

क्र. सं.	**अवधि**	**ग्लास (यू एस डॉलर में मूल्य)**	**पोर्सिलेयन (यू एस डालर में मूल्य)**
1	2005-06	97,42,000	5,79,87,000
2	2006-07	1,03,94,000	8,00,46,000
3	2007-08	1,84,26,000	10,45,01,000
4	2008-09	4,22,33,000	14,44,83,000
5	2009-10	4,08,63,000	13,68,30,000
6	2010-11	5,70,85,000	20,66,59,000
7	2011-12	9,50,42,000	26,17,87,000
8	2012-13	14,32,76,000	26,10,48,000
9	2013-14	12,46,13,000	25,20,79,000
10	2014-15	10,90,07,000	23,85,97,000
11	2015-16	8,40,07,000	25,25,05,000
12	2016-17	12,91,40,000	24,51,38,000
13	2017-18	8,06,18,827	27,97,06,265

79. यह भी देखा जाता है कि वर्तमान निर्यात 150 मिलियन यू एस डॉलर की भारतीय मांग की तुलना में 360 मिलियन यू एस डॉलर तक है। इस प्रकार से चीन के उत्पादक बहुत अधिक निर्यात उन्मुख हैं।

निर्यातक का माल भंडार

80. इन निर्यातक द्वारा निर्यातक की प्रश्नावली में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में माल भंडार में वृद्धि हुई है और इस प्रकार से शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में भारत में बढ़े हुए आयातों की संभावना का परिदृश्य बनता है।

भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

81. याचिकाकर्ताओं ने चीन के उत्पादकों की पाटन की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने के लिए मात्रा और मूल्य के संबंध में चीन तृतीय देश के निर्यातों के आंकड़े (व्यापार नक्शा आंकड़े) संकलित किया है और उसकी तुलना सामान्य मूल्य से की गई। इसके अलावा संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से की गई है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि यह आयात क्षति रहित कीमत और बिक्री कीमत से कम पर हुआ है और उसके द्वारा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता को दर्शाया गया है।

क्षति मार्जिन

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	घनात्मक	ऋणात्मक	कुल
1	मात्रा	मी. ट.	1,89,998	82,519	2,72,517
2	पहुंच मूल्य	यू एस डॉलर/ किग्रा.	1.49	2.78	1.88
3	एन आई पी	यू एस डॉलर/ किग्रा.	***	***	***
4	क्षति मार्जिन	यू एस डॉलर/ किग्रा.	***	***	***
5	क्षति मार्जिन	%	40-50%	15-35%	10-20%
6	घनात्मक/ ऋणात्मक आई एम का हिस्सा	%	70%	30%	100%

पाटन मार्जिन

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	घनात्मक	ऋणात्मक	कुल
1	मात्रा	मी. ट.	2,29,979	42,538	2,72,517
2	कारखानागत कीमत	यू एस डॉलर/ किग्रा.	1.40	2.78	1.61
3	सी एन वी	यू एस डॉलर/ किग्रा.	***	***	***
4	पाटन मार्जिन	यू एस डॉलर/ किग्रा.	***	***	***
5	पाटन मार्जिन	%	50-60%	15-25%	30-40%
6	घनात्मक/ ऋणात्मक डी एम का हिस्सा	%	84%	16%	100%

कीमत में कटौती

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	घनात्मक	ऋणात्मक	कुल
1	मात्रा	मी. ट.	1,75,474	97,043	2,72,517

2	पहुंच मूल्य	यू एस डॉलर/ किग्रा.	1.44	2.68	1.88
3	एन एस आर	यू एस डॉलर/ किग्रा.	***	***	***
4	कीमत में कटौती	यू एस डॉलर/ किग्रा.	***	***	***
5	कीमत में कटौती	%	40-50%	20-30%	5-15%
6	घनात्मक/ ऋणात्मक कीमत में कटौती का हिस्सा	%	64%	36%	100%

82. यह देखा गया है कि चीन से 70 प्रतिशत निर्यात विश्व में क्षति कारक कीमत पर होता है और 84 प्रतिशत निर्यात पाटित कीमत पर होता है। इसके अलावा, 64 प्रतिशत निर्यात उस कीमत पर होता है जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों कटौती होगी।

संभावना संबंधी निष्कर्ष

83. संभावना का विश्लेषण भी इस स्थिति को दर्शाता है कि पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति उस स्थिति में और अधिक होगी जब लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त होता है। रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि तीसरे देश में काफी अधिक मात्रा में निर्यात हुआ है जो चीन के उत्पादकों की बहुत अधिक क्षमताओं और निर्यात उन्मुखीकरण को दर्शाता है। तृतीय देश के पाटन मार्जिन की गणना की गई है और तीसरे देश में बहुत अधिक मात्रा में पाटित कीमतों पर हो रहा है। कीमत आकर्षकता का विश्लेषण यह दर्शाता है कि तीसरे देशों में बहुत अधिक मात्रा में निर्यात हुआ है जो घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत और एन एस आर की तुलना में कम कीमतों पर है और इन मात्राओं को पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत की ओर परिवर्तित किया जायेगा।

ञ. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

84. प्रकटन पश्चात् कथन के विरुद्ध अनुरोध/ टिप्पणियां प्राथमिक रूप से वे मुद्दे हैं जिन्हें जांच की अवधि के दौरान पहले ही उठाया गया है, हालांकि, स्पष्टता के वास्ते इन अनुरोधों का सारांश दिया गया है और उनका समाधान उपयुक्त रूप से किया गया है।

85. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए :

i. पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि उत्तर देने वाले उत्पादक के लिए स्थापित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में पूर्व की जांच की अवधि की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा निर्यात किये गये विचाराधीन उत्पाद के प्रकार जिसकी आयात की मात्रा पर्याप्त रूप से अधिक है और इसके कारण पाटनरोधी शुल्क को जोड़े जाने के बाद भी घरेलू उद्योग की कीमतों में भी कटौती हो रही है।

ii. विचाराधीन उत्पाद का भारत और अन्य देशों में पाटन का इतिहास रहा है। भारतीय उद्योग को पूर्व की जांच की समय पाटन के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा।

iii. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से लगातार क्षति हो रही है यद्यपि आयातों की मात्रा में पोरसिलेन/ ग्लास इंसुलेटरों से पोलिमर इंसुलेटर में निर्यातों के विपथन के कारण वृद्धि हुई है जिसका उपयोग पी जी सी आई एल द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है।

iv. चीन ने उत्पादकों के साथ पोरसिलेन/ ग्लास इंसुलेटरों की बहुत अधिक क्षमताएं हैं और ये इन क्षमताओं को निष्क्रिय रख रहे हैं और शुल्कों को वापस लिये जाने की स्थिति में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इन निष्क्रिय क्षमताओं का उपयोग भारत में इस उत्पाद का निर्यात करने के लिए किया जायेगा।

v. अर्जेंटीना ने चीन, ब्राजील और कोलंबिया के विरुद्ध पोरसिलेन इंसुलेटरों के लिए जांच की है। 227.74 प्रतिशत का पाटनरोधी शुल्क वर्ष 2015 में लगाया गया था और वहीं शुल्क अब भी लागू है। लगाये गये शुल्क की मात्रा चीन के पाटन की सीमा को पूर्ण रूप से दर्शाता है।

vi. पाटनरोधी शुल्क यू एस डालर प्रति मी. ट. में शुल्क के रूप में दर्शाये गये पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा (शुल्क का निर्धारित रूप) के रूप में ही लगाया जा सकता है।

86. मैसर्स लिलिंग हॉक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं. लिमि. द्वारा की गई टिप्पणियों का सारांश निम्नानुसार दिया गया है :

i. प्राधिकारी ने पैकिंग लागत पर उपयुक्त रूप से विचार किया है। समायोजित किये जाने के लिए प्रस्तावित पैकिंग लागत लिलिंग हॉक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं. लिमि. की वास्तविक पैकिंग लागत इसकी तुलना में बहुत अधिक है। पैकिंग लागत के कार्यचालन के संबंध में एक विस्तृत गणना और आवंटन दिया गया है।

ii. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं अर्थात पोरसिलेन/ ग्लास इंसुलेटरों के आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध नहीं है। क्षति का एकमात्र कारण पोलिमर/ संशोधित इंसुलेटरों के आयातों में वृद्धि है जो संबद्ध वस्तु नहीं है।

iii. संबद्ध वस्तुओं के आयातों में बहुत अधिक गिरावट आई है और यह भारत में कुल मांग का केवल 0.71 प्रतिशत हिस्सा है। जबकि इसके विपरीत, पोलिमर इंसुलेटरों के आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस प्रकार से, पोलिमर इंसुलेटरों के आयातों पर घरेलू उद्योग को क्षति और आयातों के बीच कारणात्मक संबंध का विश्लेषण करते समय किया जाना है। प्राधिकारी को कथित पाटित आयातों के लिए घरेलू उद्योग को उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए और यह प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और/ विकास के कारण खपत के पैटर्न में परिवर्तन का परिणाम है।

87. मैसर्स सेडिवर इंसुलेटर (शंघाई) कं. लिमि. द्वारा की गई टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है :

i. पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत ''हितबद्ध पक्षकार'' को गारंटी दिया गया अधिकार किसी प्रकार के पंजीकरण आवश्यकता से अध्यधीन नहीं है। इस नियमावली के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार के अधिकार (क) मौखिक सुनवाई और उसके पश्चात् लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने का अधिकार (नियम 6(6))। (ख) अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये साक्ष्यों का अवलोकन करने और उस पर टिप्पणी करने का अधिकार (नियम 6(7))। (ग) प्रकटन विवरण का अवलोकन करने और उस पर टिप्पणी करने का अधिकार (नियम 16) है।

ii. इस प्रकार से इस नियमावली के अंतर्गत गारंटी दिये गये अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत किसी आंतरिक प्रचालन प्रक्रिया जिसे सर्वप्रथम इस नियमावली के अंतर्गत विधायी एम्ब्रेला के अंतर्गत बनाया गया है, का अधिक्रमण करता है। व्यापार सूचना अपने आप में यह अधिकार देती है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को सर्वप्रथम मैसर्स सेडिवर के अनुरोधों की जांच इसे अस्वीकार करने से पूर्व करनी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

88. प्राधिकारी ने उपर्युक्त अनुच्छेदों में उपयुक्त स्थानों पर इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये मुद्दों की जांच पहले ही कर ली है, हालांकि कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण फिर से नीचे दिए गए अनुसार किया जा रहा है -

i. प्राधिकारी ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के रूप में और संशोधन के बारे में घरेलू उद्योग की टिप्पणियां नोट की हैं।

ii. पैकिंग कॉस्ट समायोजन के संबंध में मैसर्स लिलिंग हॉक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं. लिमि. का दावा स्वीकार कर लिया गया है और एन ई पी को उपर्युक्त संगत अनुच्छेद में फिर से निर्धारित किया गया है।

iii. पोरसिलेन/ ग्लास और पोलिमर इंसुलेटरों के आयात प्रवृत्तियों के संबंध में ब्यौरे और कारणात्मक संबंध के न होने की जांच की गई है और उसका विश्लेषण विस्तार से किया गया है और उसका उल्लेख उपर्युक्त संगत पैरा में किया गया है।

iv. मैसर्स सेडिवर इंसुलेटरों (शंघाई) कं. लिमि. द्वारा यह दावा किया गया है कि इसे एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाना चाहिए, मानने योग्य नहीं है क्योंकि मैसर्स सेडिवर ने न तो अपने आप को निर्धारित समय सीमा के भीतर एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपने आप को पंजीकृत किया है और न ही प्रश्नावली

का उत्तर प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 5 (viii) और 19 (ii) में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि इसे एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा रहा है और उसका कारण कारण क्या है यह भी नहीं बताया जा रहा है।

v. इस तर्क के संबंध में कि व्यापार सूचना प्रतिबंध लगाने के लिए इच्छुक नहीं है, कोई आधार नहीं है और इसमें कोई दम नहीं है। नियम 6 (4) और जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना ने प्रश्नावली के उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया है और व्यापार सूचना में केवल उसे दोहराया है। उक्त व्यापार सूचना के पैरा 4 में दिये गये संदर्भ में प्राधिकारी की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में प्राधिकारी ने जांच के व्यापक हित में मैसर्स सेडिवर द्वारा किये गये अनुरोधों की जांच की थी और जहां भी आवश्यक हुआ निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत न करने के बावजूद उपयुक्त रूप से उनका समाधान किया है।

vi. इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि मैसर्स सेडिवर ने तीन अवसरों अर्थात 18 अप्रैल, 22 अप्रैल और 3 मई, 2019 को सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण किया है जिसमें उन्होंने अगोपनीय पाठ की जांच करने के अवसर का लाभ उठाया है और उसकी प्रति भी ली है। इस कारण से, उनके इन अनुरोधों की उन्हें जांच से संबंधित सूचना दिये जाने से इनकार किया गया था, सही नहीं है और आधारहीन है।

ट. निष्कर्ष

89. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किये गये अनुरोधों के संबंध में तथा उपर्युक्त जांच परिणामों में प्राधिकारी के समक्ष यथा रिकार्ड किये गये उपलब्ध तथ्यों और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :

क. विचाराधीन उत्पाद का आयात संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर किया जाना जारी है;

ख. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण लगातार क्षति हुई है;

ग. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण लगातार क्षति हो रही है और यदि संबद्ध देशों के पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिये जाते हैं तब इसके जारी रहने की संभावना है;

घ. यदि पाटनरोधी शुल्क को इस चरण में समाप्त होने दिया जाये तब रिकार्ड पर दी गई सूचना स्पष्ट रूप से पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को दर्शाता है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

90. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से भारत में इस उत्पाद के कीमत के स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों को लगाये जाने से कम नहीं की जायेगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लगाने से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को दूर किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट रोकी जायेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी। आमतौर पर पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से किसी भी रूप में संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता अब भी दो अथवा उससे अधिक आपूर्ति के स्रोतों को बनाये रख सकते हैं।

ड. सिफारिशें

91. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाये तब पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों, पाटन और क्षति की संभावना के पहलु के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह मत है कि शुल्क को जारी रखना सभी संबद्ध देशों के विरुद्ध अपेक्षित है।

92. प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने की सिफारिश करते हैं जिससे कि चीन जन. गण. के सहयोगी उत्पादको, निर्यातकों के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके और सभी अन्य उत्तर न देने वाले कंपनियों के मामले में पूर्व में लागू शुल्क का विस्तार किया जा सके। तदनुसार, सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में यथा दर्शाये गये चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	प्रशुल्क मद*	वस्तुओं का विवरण**	उत्पत्ति और/ अथवा निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि यू एस डॉलर	इकाई
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	**854610** **854620**	इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स	चीन जन. गण.	मैसर्स लिलिंग हॉक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं. लिमि.	**638**	मी. ट.
2.			चीन जन. गण.	अन्य कोई	**1,383**	मी. ट.

**सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जायेगा। ऊपर में उल्लेख किए गए विचाराधीन उत्पाद उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन तब भी होना चाहिए जब इसका आयात किसी अन्य एच एस कोड के अंतर्गत किया गया हो।*

** विचाराधीन उत्पाद ग्लास अथवा पोरसिलेन/ सेरेमिक का इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, चाहे इसे असेम्बल किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो। हालांकि, वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र से निम्नलिखित को बाहर रखा गया है :

क. 1 के वी तक की रेटिंग से वोल्टेज का टेलीफोन अथवा टेलीग्राफ इंसुलेटर;

ख. 1 के वी तक की रेटिंग वाले वोल्टेज से उपस्करों/ उपकरण वाला इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेटर;

ग. कम्पोजिट इंसुलेटर; और

घ. कंडेन्सर बशिंग और वाल्टेज ट्रांसफार्म

93. ऊपर में की गई सिफारिश के अनुसार शुल्क की दरें कॉलम (5) में उल्लिखित निर्धारित उत्पादक द्वारा निर्माण की गई संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के लिए लागू है। सीमा शुल्क को संबद्ध वस्तुओं की निकासी देते समय उत्पादक के नाम का सत्यापन करना चाहिए।

94. आवेदक घरेलू उद्योग और उत्तर देने वाले उत्पादकों से यह अपेक्षित है कि वे संबद्ध वस्तुओं जिसके विरुद्ध पाटनरोधी उपायों की सिफारिश की जा रही है, के लिए उक्त परिवर्तन की पुष्टि करते हुए संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्माण सुविधा का गठन/ स्वामित्व में किसी परिवर्तन के संबंध में प्राधिकारी को सूचित करे। यह सूचना प्राधिकारी को उक्त परिवर्तन, यदि कोई हो के 60 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए।

95. इस अंतिम जांच परिणाम के फलस्वरूप केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध की जाने वाली अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDING NOTIFICATION

New Delhi the 17th July, 2019

Subject: Final Finding in the Sunset Review Investigation Concerning Imports of "Electrical Insulators" originating in or exported from China PR

F. No.7/44/2018-DGTR:— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE:

1. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the China PR was initiated by the Authority vide notification no. 14/11/2013 dated 5th September 2013 and thereafter preliminary finding notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/11/2013-DGAD dated 1st July, 2014 recommending imposition of preliminary duty. The preliminary duties were imposed vide Customs Notification No. 40/2014 dated 16th September, 2014. Thereafter, the preliminary findings were confirmed and the Final Finding was issued vide Notification No 14/11/2013-DGAD dated 4th March, 2015. On the basis of recommendations made by the Authority in the Final Findings, definitive Anti-Dumping Duty (hereinafter also referred to as "ADD") was imposed w.e.f. 11th April, 2015 through Customs Notification No. 11/2015.
2. M/s. Aditya Birla Insulators (A unit of Grasim Industries Ltd.), M/s. Insulators and Electricals Company and M/s. Modern Insulators Ltd. filed an application seeking extension of ADD on imports of electrical insulators from China PR, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of existing ADD.
3. The Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the applicants to justify initiation of Sunset Review (hereinafter also referred to as "SSR") investigation issued a public notice vide F. No. 7/44/2018-DGTR dated 10th January, 2019 to examine whether the expiry of the said duties on the import of the subject goods originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "subject country") are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
4. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject country.

B. PROCEDURE

5. The procedure described herein below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:

   i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the Sunset Review application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5.

   ii. The Authority issued a public notice dated 10th January, 2019, published in the Gazette of India, extraordinary, initiating the subject Sunset Review investigation.

   iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.

   iv. The Authority provided a copy of the Non-Confidential Version (hereinafter also referred to as "NCV") of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country and known importers/users in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

   v. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire was sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassies along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

   vi. The Authority sent Exporter's Questionnaire and Market Economy Treatment Questionnaire (for China PR) to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

      a. M/s. Hunan Liling Huaxin Porcelain Insulator and Electric Apparatus Co. Ltd.

b. M/s. Dalian Insulator Co. Ltd.

c. M/s. NGK Insulators Tangshan Co. Ltd.

d. M/s. Xian XD High Voltage Porcelain Insulator Company Limited

e. M/s. NGK Ceramics Suzhou Co. Ltd.

f. M/s. NGK Insulators Suzhou Co. Ltd.

g. M/s. NWB (Shanghai) Co. Ltd. (Trench China)

h. M/s. China Electro-Ceramic Imp. & Exp. Co. Ltd.

i. M/s. Trench High Voltage Products Ltd., Shenyang (THVS)

j. M/s. Hunan Liling Guolian Porcelain Insulator & Electrical Apparatus Co. Ltd.

k. M/s. Seves Sediver Insulator (Beijing) Co. Ltd.

l. M/s. Nanjing Electric Group Co. Ltd.

m. M/s. Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.

n. M/s. Sichuan Yibin Global Group Co. Ltd.

o. M/s. Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.

p. M/s. Liling Huaxin Insulator Technology Co. Ltd.

q. M/s. Chengdu Global Special-Glass Manufacturing Co. Ltd.

r. M/s. Shenyang Xinxin Alliance Electric Co. Ltd.

s. M/s. Tangshan High Voltage Porcelain Insulators Co. Ltd.

t. M/s. Liaoning Shuangling Electric Porcelain Mfg. Co. Ltd

vii. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/ exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
a. M/s. Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd.

viii. Further, submissions were also made by the following party post hearing–
a. M/s. Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd

ix. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

b. M/s. Crompton Greaves Ltd.

c. M/s. Areva T&D India Limited

d. M/s. ABB Limited

e. M/s. Siemens Ltd.

f. M/s. Power Grid Corporation of India Limited.

g. M/s. Adani Power Ltd.

h. M/s. Tata Projects Ltd.

i. M/s. Kalpataru Power Transmission Ltd.

j. M/s. KEC International Ltd.

k. M/s. Reliance Infrastructure Ltd

x. None of the importer of the subject goods has responded by filing an importer questionnaire response.

xi. Another exporter namely, M/s. Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd had filed its submission before the Authority at a delayed stage and the same was not considered as the interested parties and was also informed of the same during the oral hearing itself. However, the submissions made by M/s. Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd have been considered and addressed wherever found relevant, even though the company has not responded to the Designated Authority within the prescribed time limits. While the company claimed to have sent a communication to the Designated Authority, but the legal representative, authorised by the company, was not able to show any document demonstrating filing of submissions which they were specifically directed to do. In any case, the Designated Authority considered it more appropriate to examine the (belated) concerns raised by the company. It is also noted that the company has not filed any response in the form and manner prescribed by the Designated Authority and thus is non- cooperative to that extent.

xii. List of interested parties for the present investigation were notified by the Authority vide notice dated 29th April, 2019, wherein only the following were considered as the interested parties.

a. M/s. Aditya Birla Insulators (A unit of Grasim Industries Ltd.)
b. M/s. Insulators and Electricals Company
c. M/s. Modern Insulators Ltd
d. M/s. Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd.

xiii. The Authority made available Non-Confidential Version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xiv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation (herein after also referred as "POI"), which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

xv. The Non-Injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping Duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xvi. The Authority conducted an oral hearing on 24th April, 2019 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry and other interested parties. All parties who presented their views at the time of the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were allowed to submit their rejoinder thereafter.

xvii. Verification of the information provided by the domestic industry and the interested party was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.

xviii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is 1st April 2017 to 30th September 2018 (18 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2014-15, 2015-16, and 2016-17 and the POI.

xix. A Disclosure Statement was issued to interested parties on 27.06.2019 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 8.07.2019 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.

xx. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final finding Notification.

xxi. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient Non-Confidential Version of the information filed on confidential basis.

xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

xxiii. '***' in this document represents information furnished by an interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxiv. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as US$ 1 = Rs.66.61

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

6. The Product Under Consideration (herein after also referred as "PUC") is electrical insulators of glass or porcelain/ceramic, whether assembled or unassembled. However, (a) telephone or telegraph insulators of voltage rating up to 1 KV, (b) electrical or electronic appliances/device insulators of voltage rating up to 1 KV, and (c) composite insulators are excluded from the scope of present investigation. Further, it is clarified that bushings and voltage transformers are beyond the scope of the product under consideration and proposed measures.

Views of the Domestic Industry

7. Following submissions were made by the domestic industry with regards to PUC:

   i. The current being a review investigation, the scope of the PUC remains the same as that considered in the original investigation.
   ii. Main function of an electrical insulator is to insulate one conducting body from another at high voltage areas, or to insulate a body which can transmit electrical energy to the surrounding, at areas where such transmission of electrical energy has to be avoided.
   iii. The PUC comprises of a number of different types of the product. Based on the application of PUC, it can be classified into Transmission line insulators and Substation insulators
   iv. For porcelain insulators, there is no known difference in the technology adopted by the petitioner companies and by the producers in the subject country. Production technology as also production process employed by the domestic industry and the exporters from the subject country are comparable. Every manufacturer fine-tunes its production process according to available facilities and necessities.
   v. For glass insulators, the production technology, plant & equipment, production process is different from that involved in porcelain insulators. Manufacturing process involved in glass and porcelain insulators are different since glass insulators are made by melting the raw materials and thereafter solidifying, whereas, porcelain insulators are made by forming the raw materials in desired shape. Clay can be put into desired form either by forming process or by melting process. In forming process, the clay is put in a desired mix and a lump is made. The lump is formed into desired shapes. While the manufacturing process differs significantly considering the way raw materials are treated, the broad methodology for making the product is almost similar.
   vi. Issue of like article has already been examined in detail by the Authority in the original investigation. The Authority had determined in the original investigation that the subject goods imported from subject country and the one produced by the domestic industry are like article. Since this being the review investigations, the PUC is the same as the one determined by the Authority in the original investigation. Subject goods produced by the petitioners should be treated as a like article to the goods imported from the subject country within the meaning of the Anti-Dumping Rules for this investigation as well.
   vii. No request has been made for the inclusion of polymer insulators in the scope of the subject goods.
   viii. The petitioners had filled a separate application for polymer insulators. At the same time, the domestic industry has been making various efforts to win back the market ceded to porcelain insulators. These efforts have started showing positive results. It is reiterated that the domestic industry is not treating polymer insulators as subject good and trying to get duties imposed on them.

Views of the other interested parties

8. The submissions made by the opposing interested parties with regards to the PUC have been summarized as below:

   i. The petitioners have considered Polymer/Glass/Porcelain Insulators as same products and have provided the injury information considering polymer/Glass/ Porcelain Insulators as like articles. The petitioner is trying to revise the scope of PUC which is not permissible in sunset review investigation.
   ii. Since the imports of subject goods declined and of polymer insulators increased during the injury period, petitioners are considering both the products as same articles in the present investigation and seeking imposition of Anti-Dumping Duty on the same. Polymer Insulators are different products as compared to Glass/Porcelain Insulators.
   iii. The domestic industry does not produce polymer insulators. Only M/s. Aditya Birla Insulators produces the negligible quantity of Polymer Insulators. It is submitted that, when the petitioners do not produce the Polymer Insulators by themselves, the request for inclusion of the same in scope of subject goods is not tenable.
   iv. Consideration of polymer insulators in the scope of PUC will be against the Principle of Natural Justice as the producers/exporters of such goods have not been provided an opportunity to file their data and information as polymer insulator was excluded from the scope of PUC.
   v. The petitioner has claimed that they are filing a separate application and also claiming to include Polymer Insulator in the present investigation considering it as like articles. If they are considering the two as like

articles, then filing two different/ separate applications before the same Authority against the same products against the same country is not tenable and shows dichotomous thinking on the part of applicants. Petitioners should have filed a fresh composite application for imposition of Anti-Dumping Duty for electrical insulators considering all forms.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

9. The PUC in the present review investigation is electrical insulators of glass or porcelain/ceramic, whether assembled or unassembled, excluding (a) telephone or telegraph insulators of voltage rating up to 1 KV, (b) electrical or electronic appliances/device insulators of voltage rating up to 1 KV, and (c) composite insulators. bushings and voltage transformers are also beyond the scope of the product under consideration. The PUC comprises of a number of different types of the product identified into various PCNs as determined in the original investigation.

10. The present investigation being a sunset review investigation and Anti-Dumping Duties being in force on the imports of the subject goods from the subject countries, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original and subsequent review investigation.

11. As regards, the argument on inclusion of polymer insulator in the scope of PUC, the Authority notes that the domestic industry has submitted that polymer insulators are “like article” to the subject goods which is highlighted by the fact of increased imports of polymer insulator after imposition of duties on glass/porcelain insulators. The petitioners have stated that the Polymer insulators are being used interchangeably with glass/ porcelain insulators in certain applications thus making them “like article” to the subject goods. However, the present investigation is a Sunset Review investigation, and the Authority is not inclined to alter the scope of the PUC in the present investigation and had decided to not include the polymer insulators in the scope of product under consideration as is clear from the initiation notification. Further, the issue of alleged injury to the domestic industry due to imports of polymer insulator is an issue of causal link and has been appropriately examined at the relevant place in the present notification.

12. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in PUC exported from subject country and the subject product produced by the Indian industry. The subject goods produced by the domestic industry is comparable to the subject goods exported from subject country in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The mere difference in the production process does not make the product types as different. The end consumers/user industry is ultimately using the different product types interchangeably and the product types are like article to the subject goods being imported from the subject country. In any case, the issue of product scope and like article was examined by the Authority in the last concluded investigation and needs no further clarification.

13. The subject goods are classified under chapter 85 of Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 854610 and 854620 of the Tariff Classification. However, the PUC has also been imported under chapter 98 as project category imports. The custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

14. The Authority holds that the subject goods produced by the petitioners are like article to the product under consideration exported from the subject countries, in accordance with the Anti -Dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

15. The petition was filed by M/s. Aditya Birla Insulators (A unit of Grasim Industries Ltd.), M/s. Insulators and Electricals Company and M/s. Modern Insulators Ltd., (herein after referred as “petitioners”) seeking initiation of Sunset Review for continuation/ extension of present Anti-Dumping Duties on imports of Electrical Insulators from China PR.

16. It is noted that apart from the petitioners, there are some other producers who operate in both organized and unorganized sector. Details of Indian production have been provided as per Indian Electrical & Electronics Manufacturers’ Association (IEEMA). Since information provided by IEEMA is in terms of numbers, the domestic industry has converted the same into weights by adopting appropriate weights for different kinds of insulators, which have been found appropriate. Further, the production details provided by IEEMA does not include production by IEC. Therefore, IEC production has been added on actual basis. Since ABI and Modern actual data is available, IEEMA data has been substituted with ABI and Modern’s actual data.

17. It is noted that the production of the petitioners constitutes “a major proportion” of the Indian production. There are no contrary submissions in this regard from any of the interested parties. Further, the petitioner companies are not

related to any importer or exporter of subject goods in the subject country, nor have they imported subject goods from subject country. The petitioners, therefore, satisfy the requirement of standing to file the present petition and constitute "Domestic Industry" within the meaning of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Views of the domestic industry

18. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic industry:

i. Claims of interested parties with regard to excessive confidentiality claims by the domestic industry are without basis. Domestic industry has supplied all the relevant data consistent with trade notice No 1/2013 and have not claimed excessive confidentiality. Further, there is no specific statement with regard to any data/information/document that the domestic industry was obliged to provide and which has been claimed confidential.

ii. Reference to Rule 5 for initiation is highly misplaced, as the present application has been filed under Rule 23. The obligations under Rule 5 and Rule 23 are very different. Petitioners are willing to provide any information that the Authority desires. Present investigation is a Sunset Review investigation, and what requires to be seen at the stage of initiation is whether or not there is sufficient evidence justifying likelihood of dumping and injury in the event of cessation of duty.

iii. Fact of polymer insulators increase in imports is in fact one of the parameters indicating likelihood of dumping and injury. Anti-Dumping Duties in force is the sole reason for such significant increase in polymer insulators, thus cessation of Anti-Dumping Duties will, in all likelihood, lead to increase in dumped imports resultantly causing injury to the domestic industry.

iv. M/s. Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd attended the hearing without even registering itself as an interested party. While at the time of the hearing the Authority had specifically stated that for registration as an interested party, the time limits have to be adhered to. Even the written submission is silent on this issue. Submissions have been made by the exporter without establishing that it has registered itself as an interested party with the Authority. It has not timely availed opportunity under the Rules and has not filed questionnaire response till date. The Hon'ble Tribunal in the matter of *Merino Panel v. Designated Authority* held that a party cannot be treated as an interested party unless it files questionnaire response. Therefore, their submissions should be rejected.

Views of the other interested parties

19. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

i. The NCV of the petition fails to meet the standards laid down in Rule-7 of the Rules and Trade Notice No 1/2013 dated December 09, 2013 issued by the Authority. The petitioners abusively withheld and manipulated information related to the allegations of injury. Petitioners have not provided sufficient reasons as to why confidentiality was claimed and why summarization was not possible for certain information.

ii. Information provided is manifestly insufficient to justify the initiation of an investigation under Rule-5(3) of the Rules. The evidence presented must be of an adequate quality to constitute "sufficient evidence". Reliance has been placed on WTO Panel in the United States – Softwood Lumber from Canada; Guatemala—Cement II and Mexico – Steel Pipes and Tubes. Other factors causing injury must have been examined.

iii. The petitioners have claimed excess confidentiality and therefore, they are in violation of Rule 7 of AD Rules as well as Trade Notice No. 10/2018 dated September 7, 2018. Petitioners filed injury statement separately for transmission and sub-station segments. Injury statements have been claimed completely confidential without demonstrating any reasonable basis/good cause for the same, precluding other interested parties from making reasonable comments. Reliance placed on M/s. *Meghmani Organics v. UOI.*

Examination by the authority

20. The various miscellaneous submissions considered relevant have been examined as under:

i. As regards the contention with regard to confidentiality of information, it is noted that the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the NCV of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

ii. As regards the argument of M/s. Sediver Insulators that it is an interested party, the Authority notes that no exporter questionnaire responses have been filed within prescribed or extended time period nor the said exporter has been able to show that they had registered themselves as interested party within the prescribed time limits in order to lodge its claim to participation in the present proceedings. The Authority notified the necessary notification to this effect on the website of DGTR for information of all concerned. In view of the above, the Authority has decided to not consider M/s. Sediver Insulators as an interested party for the purposes of the present investigations.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

Views of the domestic industry

21. The domestic industry *inter alia* submitted as follows:

i. Normal value in China should be determined on the basis of Para-7 of Annexure-I. Authority is requested to kindly determine normal value in China in accordance with Para 7 & 8 of Annexure-I of the Rules.

ii. The exporters have failed to show that consistent with the provisions of Article 15(a)(i), market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product under consideration. The Authority is not required to use Chinese prices or costs for the purpose of determination of normal value.

Views of the opposing interested parties

22. The opposing interested parties have submitted that in accordance with relevant provisions of the Protocol on China's accession to the WTO, adopting non-market economy status in Anti-Dumping actions is lacking legal basis since 11th Dec, 2016. Such practice is bound to expire from then on. Reliance placed on WTO Appellate body report in Fastener case initiated by China PR against the EU

Examination by the Authority

23. At the stage of initiation, the petitioner proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copy of relevant questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard. However, none of the Chinese producers/exporters have filed any response to this questionnaire.

24. The Article 15 of China’s Accession Protocol in WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

> *“(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
>
> *(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
>
> *(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
>
> *(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

25. The Authority notes that on 11.12.2016, the provisions of 15 (a) (ii) have though expired, the provision of Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure 1 of India's AD Rules to be satisfied through the information/data provided in the supplementary questionnaire on MET status. The Authority notes that since none of the responding exporters from China have submitted market economy treatment questionnaire response, the normal value computation is required to be dealt as per provisions of para 7 of Annexure-1 of AD Rules.

Methodology for Determination of Constructed Normal Value

26. The cost of the most efficient domestic industry has been considered for the purpose of calculating constructed normal value. An appropriate profit margin of 5% has been added to the 'total cost of sales excluding interest' to arrive at the Constructed Normal Value of the subject goods. The normal value so constructed is as mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export Price

27. Only one producer exporter namely M/s. Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd has filed exporter's questionnaire (EQ) response in the present investigation. The examination of the response revealed that producer has exported subject goods to India directly as detailed in Appendix -3A of the EQR. The export data submitted by the respondent was duly correlated with the import data obtained from DG systems. As per the details submitted, the company has exported only certain types of porcelain insulators in India during the POI. The necessary adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port handling charges, credit cost, packing cost and bank charges have been claimed and the same were considered after due verification (in a table study) to compute the Net (ex-factory) export price. The NEP has been calculated PCN wise. The NEP is as mentioned in the dumping margin table below.

CNV & EP FOR NON RESPONDING PRODUCERS EXPORTERS

28. The export price for the non-responding producers/exporters from China has been determined on the basis of export transactions of the responding producer. The cooperative exporter has exported to India the subject goods which fall under multiple PCNs. The CNV has been determined on the basis of PCN having the highest CNV.

DUMPING MARGIN

29. The dumping margin for subject goods has been determined by comparing (constructed) normal value and net export price at ex-factory level for the subject goods. The dumping margin has been computed PCN wise and the weighted average of the same is given in the table below.

Producer	NEP	CNV	Dumping Margin		
	US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	Range
M/s. Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd	***	***	***	***	40-50
Other non-responding exporters	***	***	***	***	165-175

30. It is seen that the dumping margin is more than the de-minimis limits prescribed under the Rules.

G. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Views of the Domestic industry

31. The domestic industry has made the following submissions in this regard:

i. The porcelain insulator Indian industry had been suffering in past which was established in the original investigation and resulted in imposition of present ADD.

ii. With imposition of anti-dumping duty and safeguard duty, the sales of the Indian industry improved for a brief period, however major utilities companies started treating polymer insulator at par with glass/porcelain insulators which led to replacement the market share of the porcelain insulators. The import data clearly shows increase in polymer insulators, post imposition of antidumping duty, with a decline in imports of glass/porcelain insulators.

iii. Fact of change in pattern of imports from one type of insulator to another type in response to antidumping duties indicates the capability and resilience of the Chinese Producers to shift from one product to another as per the demand. This also indicates that in case the duties are removed they may revert to porcelain/glass insulators. The domestic industry has persuaded the concerned Authority to distinguish between the polymer and porcelain/glass insulators in view of their different specifications to deal with different environmental conditions which has been found acceptable by the Authorities. Thus, it is expected that demand for glass/porcelain insulators will continue to exist and increase in future.

iv. Even when the volume of imports have declined the same are at dumped and injurious prices.

v. The imports in relation to both production and consumption have shown a declining trend throughout the injury period. Market share of subject imports in total imports declined till 2016-17 and again increased in POI. Imports from the subject country still hold a significant share of 87% in total imports. Other countries do not even sell their product in the Indian market owing to the kind of pricing that is followed by Chinese producers.

vi. Profit before interest has declined over the injury period, even after imposition of anti-dumping duties in view of the fact that the market has been distorted with imports of Polymer insulator in the market.

vii. Cash profits increased slightly from the base year, but then have decreased significantly. Return on investment has followed the same trends as cash profits where there was a slight increase from base year, then there was a sudden decline.

viii. Average inventory has increased. In spite of order-based industry, domestic industry has to undertaken production in anticipation of orders, as kiln cannot be stopped and started as when required. In absence of orders, there is pileup of the inventories over the injury period.

ix. Going by the current demand and the market situation, domestic industry is not in a position to make further investment. Dumping of glass insulators first and thereafter polymer insulators now is holding back the industry from making fresh investments. Continued dumping of the product has very heavily impacted the Indian industry, which was once upon a time a major exporter of the product.

x. BHEL has two plants for production of insulators with a total capacity of producing 12,000 MT insulators. One of the plants has suspended the production because of dumping of glass and porcelain insulators in the country causing significant financial losses and the company could not sustain the injury being inflicted and instead decided to suspend production in its Bangalore plant.

Views of other interested parties

32. Submissions made by the other interested parties are as under:

i. Sales of petitioner companies have increased from 55,993 MT during the base year 2014-15 to 85,353 MT during the POI of 18 months. On the contrary, imports from subject country have declined substantially by 93% from 36,357 MT during the year 2014-15 to 2,214 MT only during the POI with the decrease in demand. Total demand of the subject goods in India have declined from 114,467 MT during the base year 2014-15 to 110,026 MT during the POI. Thus, injury to the domestic industry cannot be attributed to the imports of subject goods but to the imports of polymer insulators.

ii. The share of subject imports in the market demand has significantly declined whereas imports of polymer insulator have increased substantially. Such insignificant share from subject country cannot cause injury to the domestic industry

iii. The cost of sales has increased marginally, whereas the selling price remains constant. Change in cost has not affected the selling price which means that there is no co-relation between the cost of sales and the selling price of the domestic industry. The petitioner has not provided the information related to landed price in the revised petition. Therefore, the comparison of the same is based on the information provided in the original petition. Landed price of the imports of the subject goods from China PR is increasing with the increase in Cost of Sales.

iv. The increase in the landed price resulted into decline in price undercutting during the POI as compared to the base year. (Comparison of base year with 18-month POI)

v. The sales volume of the petitioners has increased during the POI as compared to the base year. Export sales have also increased. Thus, there is no injury to the domestic industry (Comparison of base year with 18-month POI)

vi. The reason for decline in the profitability of the domestic industry is not the imports of subject goods from China PR; it is the imports of Polymer Insulators which is causing injury to the domestic industry.

vii. The increased use of polymer insulators indeed does indicate a change in pattern of consumption in the market. PGCIL has completely switched from the product under consideration to polymer insulators – as the largest producer in India this must be interpreted as a substantial shift in the pattern of consumption. Thus, there is no causal link between injury and subject imports.

viii. Petitioners have tried to obfuscate the data by conducting joint market share analysis of PUC as well as polymer insulators. Still the data shows the market share of the subject country has declined substantially and that of petitioners has remained unchanged.

ix. On the price parameters of injury, exporter is prevented from making relevant submissions since the separate data for substation and transmission insulators has not been made available in non-confidential form. However, statements made by the petitioners in indicate that any injury suffered by the petitioners in this period is completely unrelated to the subject imports.

x. Any injury allegedly suffered by the domestic industry is due to factors other than imports from the country concerned non-attribution analysis should be performed to ensure the causal link between the dumped imports and the alleged injury or exclude the injuries caused by factors other than the dumped imports.

xi. Given that the Petitioners are largely injured by the shifting trend in the market, Authority must discontinue duties on the product under consideration and allow the petitioners to either file a fresh application on polymer insulators or a joint application for the product under consideration and polymer insulators.

Examination by the Authority

33. The injury analysis made by the Authority here under addresses the various submissions made by the interested parties.

(i) Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles….". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

(ii) Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

(iii) According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

(iv) For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

(v) In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

I Volume Effect

i. Assessment of Demand

34. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed for the product under consideration is given below:

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI A
1	Sales of Domestic Industry	MT	55,993	59,357	56,186	56,902
2	Sales of Other Indian Producers	MT	22,097	30,411	19,955	14,747
3	Imports from Subject Countries	MT	36,357	9,412	3,006	1,476

4	Import from Other Countries	MT	20	39	1,242	225
5	Total Demand	MT	1,14,466	99,219	80,388	73,351

35. It is noted that the demand for the subject goods declined over the injury period. It has been contended both by the domestic industry and the responding exporter that the demand for the product under consideration has been taken away by polymer insulators in transmission segment. It has been stated that some of the consumers (primarily PGCIL) had started using polymer and product under consideration interchangeably. It is seen that there is significant increase in value of import of polymer insulators and sale of polymer insulator of Indian producers as shown below-

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI (A)
	Porcelain Insulators					
1	Sales of Domestic industry	Rs. Lacs	***	***	***	***
2	Sales of Other Producers	Rs. Lacs	***	***	***	***
3	Imports from Subject Country	Rs. Lacs	28,205	8,089	2,398	1,732
4	Imports from Other Countries	Rs. Lacs	25	67	1,448	239
	Polymer Insulators					
5	Imports from China	Rs. Lacs	11,004	10,763	14,910	14,771
6	Sales of Indian producers	Rs. Lacs	***	***	***	***

ii. Import volume and Market Share

36. With regard to volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The table below summarizes the data with regard to import volumes and market share:

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI A
1	Subject country- China	MT	36,357	9,412	3,006	1,476
2	Other Countries	MT	20	39	1,242	225
3	Total	MT	36,376	9,451	4,248	1,702
4	Subject Country-China	%	100%	100%	71%	87%
5	Other Countries	%	0%	0%	29%	13%
6	Total	%	100%	100%	100%	100%
7	Subject country imports in relation to					
a	Indian Production	%	41.21%	9.14%	3.38%	1.76%
b	Indian Demand	%	31.76%	9.49%	3.74%	2.01%

37. It is noted that imports from subject country have declined throughout the injury investigation period. Subject imports in relation to production and consumption also declined throughout the injury investigation period in view of imposition of anti-dumping duty. The reason for the said decline, as stated by the domestic industry, is the shifting of porcelain/glass insulators demand to polymer insulators.

38. The PUC can be segregated on the end use basis majorly into two categories namely, “transmission line insulators” and “substation insulators” which can then be further segregated into various PCNs on the basis of technical specifications. The analysis of imports of the PUC shows that the volume of imports in transmission segment declined sharply, whereas the same has increased in sub-station segment. As per the claims made by the domestic industry, evidenced by the import data, the market demand in transmission segment had temporarily shifted to polymer insulators which is gradually shifting back to porcelain/glass insulators, thereby, the need to continue with the present ADD is essential.

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI A
1	Imports in transmission segment	MT	35,332	8,595	2,313	-
2	Imports in substation segment	MT	80	212	413	720

iii. Price Effect

a. Price Undercutting

39. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

40. The petitioners have compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the subject goods. The price undercutting calculated on the basis of DGCIS data is as under-

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Landed Price	Rs/Kg	83.06	91.55	85.20	127.67
2	Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
3	Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
4	Price Undercutting	Range %	60%-70%	55%-65%	60%-70%	5%-15%

41. It is seen that the landed price of imports of subject goods from subject country has increased in the POI as compared to base year, which is on account of the fact that during the earlier years, the imports were mostly comprised of disc insulators for transmission line which are low priced as compared to hollow insulators for substation being imported during the POI. However, the imported subject goods are still at prices which are below the net selling price of the domestic industry (as a whole including insulators for transmission and substation line). Thus, imports from subject country are undercutting the prices of domestic industry in the POI to a significant extent.

b. Price Suppression/ Depression

42. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the petitioner has considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI A
1	Landed Price	Rs/Kg	83.06	91.55	85.20	127.67
2	*Trend*	*Indexed*	100	110	103	154
3	Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***
4	*Trend*	*Indexed*	*100*	*98*	*104*	*106*
5	Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
6	*Trend*	*Indexed*	*100*	*100*	*100*	*100*

43. It is seen that the selling price is below the level of cost of sales of domestic industry during the POI. The landed price of subject imports is lower than the cost of sales during the entire the injury period thereby forcing the domestic industry to keep the prices below the remunerative level. As a consequence, the domestic industry is facing price suppression during the POI.

c. Price Underselling

44. The petitioners had claimed that the subject imports are underselling the prices of domestic industry. They had claimed price underselling by comparing the non-injurious price with the landed price of subject imports from DGCIS data. It was decided to examine the impact of subject imports on the prices of the domestic industry. Therefore, the non-

injurious price for the domestic industry has been calculated unit-wise and a weighted average has been arrived at to compare it with the landed value of imports. It is seen that the price underselling is positive and significant.

NIP	Landed Price	Price underselling	Price underselling
US$/MT	US$/MT	US$/MT	%
***	***	***	10-20

II. Economic Parameters relating to the Domestic Industry

45. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

46. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below:

a. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volume

47. Production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry moved as shown below:

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI A
1	Capacity	MT	85,059	85,059	88,726	84,639
2	*Trend*	*Indexed*	*100*	*100*	*104*	*100*
3	Production	MT	66,130	72,609	68,940	69,217
4	*Trend*	*Indexed*	*100*	*110*	*104*	*105*
5	Capacity Utilization	%	78%	85%	78%	82%
6	*Trend*	*Indexed*	*100*	*110*	*100*	*105*
7	Domestic Sales volume	MT	55,993	59,357	56,186	56,902
8	*Trend*	*Indexed*	*100*	*106*	*100*	*102*

48. It is seen that:

i. Capacity of the domestic industry remained consistent during the entire injury period with marginal increase in 2016-17 due to debottlenecking of a Kiln and marginal decline during POI due to disposal of one of the kilns.
ii. Production of the subject goods was highest in 2015-16 and declined thereafter.
iii. Capacity utilization and sales have followed the same trend as of production.

a) Market Share in Demand

49. The market share of the domestic industry is as shown below:

SN	Market Share in Demand	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Domestic Industry	%	48.92%	59.82%	69.89%	77.58%
2	Other Indian producers	%	19.30%	30.65%	24.82%	20.11%
3	Subject countries	%	31.76%	9.49%	3.74%	2.01%
4	Other Countries	%	0.02%	0.04%	1.55%	0.31%
5	Total		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

50. It is noted that the market share of the domestic industry has consistently increased along with the market share of the other Indian producers. The market share of the subject country imports declined on account of antidumping duty in force on subject goods.

b) Profitability, Return on Investment and Cash Profits

51. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow is as follows:

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI A
1	Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***
2	*Trend*	*Indexed*	*100*	*98*	*104*	*106*
3	Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
4	*Trend*	*Indexed*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	Profit/(Loss)	Rs./Kg	***	***	***	***
6	*Trend*	*Indexed*	*100*	*128*	*15*	*(25)*
7	Profit/(Loss)	Rs.Lacs	***	***	***	***
8	*Trend*	*Indexed*	*100*	*136*	*15*	*(26)*
9	PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
10	*Trend*	*Indexed*	*100*	*108*	*58*	*32*
11	Cash Profits	Rs.Lacs	***	***	***	***
12	*Trend*	*Indexed*	*100*	*118*	*54*	*29*
13	ROCE	%	***	***	***	***
14	*Trend*	*Indexed*	*100*	*117*	*64*	*34*

52. The Authority notes that the profits of the domestic industry declined significantly over the injury period. Cash profits and ROCE of the domestic industry have also declined significantly over the entire injury period.

c) Inventories

53. Inventories with the domestic industry is as follows:

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI A
1	Average Stock	MT	6,377	6,676	7,653	9,605
2	*Trend*	*Indexed*	*100*	*105*	*120*	*151*

54. It is seen that average stock with the domestic industry has increased significantly.

d) Employment, Wages and Productivity

55. Performance of the domestic industry with regard to employment, productivity and wages is as follows:

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI A
1	Productivity per day	MT/Day	189	207	197	198
2	*Trend*	*Indexed*	*100*	*110*	*104*	*105*
3	Employment	Nos	***	***	***	***
4	*Trend*	*Indexed*	*100*	*106*	*106*	*106*
5	Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
6	*Trend*	*Indexed*	*100*	*117*	*120*	*122*

56. Employees and productivity per day has increased over the injury period. Employment and wages are not reflective of the adverse effects of the dumping on the domestic industry, as these factors are governed by overall operations of the company and the economy

e) Magnitude of Dumping

57. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India consequently

causing injury to the domestic industry. The data shows that the dumping margin determined against the subject country is positive and significant in the present investigation.

f) Ability to raise Capital Investment

58. Petitioners have claimed that continued dumping of the product has very heavily impacted the domestic industry, affecting their plans for expansion and investments.

g) Magnitude of Injury and injury margin

59. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules. The NIP has been worked out based on the verified information of the domestic industry. The NIP has been calculated for each of the PCN produced by each of the constituent of domestic industry. Subsequently the weighted average has been computed for each of the PCN and the same has been compared with the landed value of the relevant imports by the responding producer exporter from China. As for the residual category, the landed value has been determined on the basis of transactions of cooperative exporter. The NIP has been taken for the PCN having highest price. The weighted average of injury margin calculations for the responding producer exporter (M/s Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd) and for other non-cooperating exporters from the subject country is as under:

Producer	NIP	Landed Price	Injury margin		
	US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	Range
M/s. Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd	***	***	***	***	30-40
Other non- responding exporters	***	***	***	***	135-145

60. It is seen that injury margin is positive and significant for the subject country.

Factors Affecting Domestic Price

61. The import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. It is noted that the landed value of subject goods from subject countries are below non-injurious price of the domestic industry. Further, landed value from subject countries had suppressed and depressed the prices of the Domestic Industry leading to financial losses to them. The imports of the subject goods from countries other than subject countries are negligible in quantities and not injuring the domestic industry. Demand for the product is showing a significantly increasing trend and, therefore, could not have been a factor responsible for price depression and suppression faced by the domestic industry. In view thereof, the alleged dumped imports are interfering with the price structure of the domestic industry.

Conclusion on Injury

62. It is thus seen that while overall imports of the subject goods from the subject country have declined. The detailed examination of import data reveals that the imports in sub-station segment have increased over the period, while imports in transmission line segment have declined sharply, which is on account of the fact that porcelain transmission insulators have been replaced by imports of polymer insulators. The imports continue to enter the domestic market at dumped and injurious prices. The performance of the domestic industry in respect of production, capacity utilization and domestic sales has remained consistent indicating that there is no volume injury to the domestic industry. However, the domestic industry is showing negative growth in ROCE and decline in profits, cash profit and PBIT during the POI as compared to base year and immediate previous year. The imports are undercutting and under selling the prices of the domestic industry in the market and are also suppressing the prices. The Authority thus concludes that the domestic industry has suffered continued injury.

H. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

63. The Authority has examined the issues raised by the interested parties through the analysis of the following causation and non-attribution factors:

Volume and prices of imports from other sources

64. The Authority notes that imports from other countries, barring Russia, are negligible and thus are not the factors causing injury to the domestic industry. As regards Russia, the domestic industry submitted that the same is part of an order placed much before the POI.

Import of Polymer Insulators

The Authority had decided to not include polymer insulators in the scope of PUC in present review investigation and continued with the same PUC as was notified in the original investigation. The examination of dumping margin and injury margin in the present review investigation was specifically undertaken for the PUC, as detailed in the above relevant paragraphs. The margins so calculated do not include import of polymer insulators and therefore, the outcome thereof is irrespective of whether polymer insulators are being imported or not.

Contraction in demand and change in pattern of consumption.

65. Demand of subject goods has declined over the injury period mainly on account of reduced imports of porcelain/glass insulators which is attributable to antidumping duty in force. There is a visible shift towards polymer insulators post imposition of anti-dumping duty. In case duties are ceased to exist, there is a possibility of increase in imports of porcelain/glass insulators which is also supported by the facts put forward by the DI that the consumers have started distinguishing between porcelain and polymer insulators unlike the previous time where they were being used interchangeably.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

66. The goods are freely importable and the goods are being imported from several countries including the subject countries. No evidence of trade restrictive or anti-competitive practices has been produced by any interested party during the course of the investigation

Development in Technology

67. The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry

Export performance of the domestic industry

68. Petitioners have exported the product under consideration. It is seen that performance of the domestic industry has not deteriorated in exports. However, export performance is not relevant here since the Authority has considered only the domestic performance of the Domestic Industry for injury analysis and injury if any due to the export performance of the domestic industry has not been attributed to the dumped imports.

Conclusion on Causal link & Non attribution analysis

69. The Authority has examined whether injury to the domestic industry is due to continued dumped imports. The imports have continued to enter at dumped prices in spite of antidumping duty in force. The landed price of imports is significantly below the non-injurious price/fair price of the domestic industry and there is significant price underselling due to low priced dumped imports coming in India. There has been deterioration in ROCE and profits which resulted in financial losses in the POI and decline in cash profits. Therefore, the examination reveals that dumping of the subject goods from subject country and consequent injury to the domestic industry continued as seen in this investigation. The non-attribution analysis shows the injury suffered by the domestic industry were not on account of any other factors. There is positive dumping margin and injury margin during the POI established for the subject country.

I. LIKELIHOOD ANALYSIS

70. The Authority notes that this is a sunset review investigation and in terms of Rule 23, the Authority is required to examine the likelihood scenario of continued dumping and consequent injury if the anti-dumping duties were to be allowed to expire.

Views of the domestic industry

71. The following submissions were made by the domestic industry in this regard:

i. There has been a diversion in Chinese exports from porcelain and glass insulators to polymer insulators. Domestic industry is suffering continued injury from dumped imports even though the volume of imports have decreased, because of diversion of exports from porcelain/ glass insulators to polymer insulator, which is being used interchangeably by PGCIL. Imposition of duty has led to the increased usage of polymer insulators.

ii. In a recent judgment by Canadian International Trade Tribunal dated March 2019 in respect to review investigation on imports of Carbon welded steel pipe, Canadian authorities continued the measures despite finding “other factors causing injury to the domestic industry”. Other factors causing injury was also considered as one of the parameters and justification to continue measures.

iii. Decline in imports post imposition of duty and positive dumping margin in such imports implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and in itself justifies extension of anti-dumping duty. Reference laid on US policy on conducting sunset review investigations and on findings and decisions of the investigating authorities in other jurisdictions.

iv. There has been a history of dumping in India and other countries. Indian Industry faced severe consequences of dumping at the time of previous investigations. At the time of original investigation, as found by the Designated Authority, imports increased significantly at low import prices. In the event of cessation of duties, there is a likelihood of increase in imports which have declined significantly in volumes though still at dumped prices.

v. There has been a significant overall increase in exports from China to the World. From being a net importer of the subject goods, China has become a net exporter of the subject goods. China is now the world's largest hub of manufacturing electrical insulators with the largest number of Insulator suppliers. China exports to world in last 13 years have increased to almost 650 times in 2017-18.

vi. China is world's largest exporter of product under consideration. Its current exports are in the region of 360 million US$ as against Indian demand of 150 million US$. Chinese producers have significant focus on exports. Should the present ADD not be extended, it would provide significant market opportunity to Chinese producers, who are already selling significant volumes of polymer insulators in India. Volume of subject goods exports to rest of the world has been consistently increasing from 2008-09 till date, showing the consistent increase in the export orientation of the domestic industry.

vii. Analysis of China's exports to various countries globally over the injury period shows that Chinese producers have exported glass and polymer insulators to a large number of countries at a price materially below normal value, selling price and NIP of the domestic industry. On cessation of duties, there is a strong likelihood of diverting low priced volumes to India at cheaper prices.

viii. If export price to India is compared with different countries globally, it would be seen that significant volumes have been exported globally at a price much below the

Views of the other interested parties

72. The opposing interested parties have made the following submissions in this regard:

i. Authority is required to assess whether the impending expiry of duties is likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The petitioners have alleged a continuation of dumping but an absence of injury. As a result, there is a break in causal link in the present case. Therefore, the Authority has to now assess whether the expiry of duties will lead to a recurrence of injury to the domestic industry.

ii. The imports have declined by over 90% in the injury period. Therefore, there is no present basis to indicate that there will be a significant increase of dumped imports in case duties are removed.

iii. Petitioners have made hollow and unsubstantiated claims with regard to excess capacities in China. Merely because imports to India have come down, it cannot be assumed that the capacities in China are not being utilized for exports to other countries.

iv. Without perusing a separate assessment of price suppression / depression for transmission and substation insulators, we are unable to make detailed comments on this issue. Without prejudice, it may be noted that the absence of injury due to subject imports has already been admitted by the Petitioners

v. It is not merely sufficient to prove whether India is already a price attractive market, but rather whether India will become a price attractive market if duties are allowed to expire. The exports from China to various countries other than India have been analysed. As per the data provided, over 90% of the exports from China to various destinations are at a price considerably lower than the price to India. India is already a substantially price attractive market for several major producers in China. If the Petitioners' logic is to be believed, import volumes to India should already have been increasing over the injury period, at least from those producers that have a margin lower than USD 1400/MT. Yet, subject imports have declined. There is therefore no reason to presume that an expiry of duties will make a large difference to this scenario.

vi. New Bidding Requirements protect the Domestic Industry from Any Future Injury, created an additional condition for bids made by foreign entities in tenders – to setup a factory in India and supply 25% content from that factory. These additional requirements of local investment and use of local content have driven away foreign bidders from relevant tenders, since many exporters are unwilling to invest in India. This creates an additional mechanism of protection for Indian manufacturers once duties expire.

Examination by Authority

73. The Authority notes that the present investigation is a sunset review of antidumping duty imposed on the imports of subject goods and the Authority has to examine likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules provides for the following factors:

a) Continued and Existing dumping

74. While overall imports of the product from subject country have declined throughout the injury investigation period,

imports of transmission insulators have almost dried up, whereas the imports of sub-station insulators have increased. Further, there is a decline in the price of sub-station insulators imports. The decline in imports of transmission insulators was because one of the leading consumers switched onto polymer insulators, treating the two interchangeable. Evidence provided by the domestic industry shows consideration in the Govt. with regard to usage of polymer insulators and views of the concerned Govt. authorities with regard to differential use of the two products.

75. The imports in the current period are at dumped and injurious prices. Thus, the shift of imports from porcelain/glass to polymer insulator on one hand and positive dumping margin & injury margin in sub-station insulators imports on the other hand, with rising volumes, shows likelihood of substantially increased importation of subject goods in the event of cessation of anti-dumping duty. It is also noted that the dumping margin and injury margin for the responding producer-exporter are far higher than the dumping margin & injury margin determined in the original investigations. Other Chinese producers have however preferred non-cooperation.

76. At the current landed price in India, there is positive price undercutting during POI without considering existing ADD. The level of selling price is below the level of cost of sales. Further landed price of imports have remained below the level of cost and selling price of the domestic industry throughout the injury period. Thus, it is likely that imports will suppress and depress the domestic industry's prices leading to increase in imports at dumped prices.

b) Production Capacities and Export Orientation

77. The domestic industry has provided Customs data of subject country in respect of exports to India and rest of the world (Trade Map data) which indicates large capacities for the subject goods in China. It can be seen that the exports from China to world are significant indicating an intense capacity of Chinese producers to export the subject goods from China.

78. The domestic industry has furnished data evidencing that China was a net importer of electrical insulators until few years back. Gradually, China has built significant capacities for the product under consideration and has gradually turned out from net importer to net exporter in a very short time period. China exports to world in last 13 years is as given in table below.

SN	Period	Glass (Values USD)	Porcelain (Values USD)
1	2005-06	97,42,000	5,79,87,000
2	2006-07	1,03,94,000	8,00,46,000
3	2007-08	1,84,26,000	10,45,01,000
4	2008-09	4,22,33,000	14,44,83,000
5	2009-10	4,08,63,000	13,68,30,000
6	2010-11	5,70,85,000	20,66,59,000
7	2011-12	9,50,42,000	26,17,87,000
8	2012-13	14,32,76,000	26,10,48,000
9	2013-14	12,46,13,000	25,20,79,000
10	2014-15	10,90,07,000	23,85,97,000
11	2015-16	8,40,07,000	25,25,05,000
12	2016-17	12,91,40,000	24,51,38,000
13	2017-18	8,06,18,827	27,97,06,265

79. It is also seen that the current exports are in the region of 360 million US$ as against Indian demand of 150 million US$. Thus, the Chinese producers are highly export oriented.

Inventories of the Exporter

80. As per the details given in the exporter questionnaire by the exporters, the inventories have increased in POI as

compared to base year as well as the previous year creating scenario of likelihood of increased imports to India inn case of cessation of duties.

Price Attractiveness of Indian Market

81. The petitioners have compiled data (Trade Map data) of China third country exports with respect to volume and values and compared it with normal value to infer the tendency of dumping of Chinese producers. Also the export price of subject goods have been compared with the domestic selling prices and non-injurious price of the domestic industry to infer that these exports are at below non-injurious price and selling price, thereby indicating the necessity of continuation of prevailing ADD.

Injury Margin

SN	Particulars	UOM	Positive	Negative	Total
1	Volume	MT	1,89,998	82,519	2,72,517
2	Landed Price	USD/Kg	1.49	2.78	1.88
3	NIP	USD/Kg	***	***	***
4	Injury margin	USD/Kg	***	***	***
5	Injury margin	%	40-50%	15-35%	10-20%
6	Share of positive/negative IM	%	70%	30%	100%

Dumping margin

SN	Particulars	UOM	Positive	Negative	Total
1	Volume	MT	2,29,979	42,538	2,72,517
2	Ex-factory Price	USD/Kg	1.40	2.78	1.61
3	CNV	USD/Kg	***	***	***
4	Dumping Margin	USD/Kg	***	***	***
5	Dumping Margin	%	50-60%	15-25%	30-40%
6	Dumping Margin	%	84%	16%	100%

Priceundercutting

SN	Particulars	UOM	Positive	Negative	Total
1	Volume	MT	1,75,474	97,043	2,72,517
2	Landed Price	USD/Kg	1.44	2.68	1.88
3	NSR	USD/Kg	***	***	***
4	Price undercutting	USD/Kg	***	***	***
5	Price undercutting	%	40-50%	20-30%	5-15%
6	Price Undercutting	%	64%	36%	100%

82. It is seen that 70% of exports from China to the world are at injurious price and 84% at dumped price. Further, 64% of exports are at a price that will undercut the prices of the domestic industry.

Conclusion on Likelihood

83. The likelihood analysis also points to the situation that dumping and consequent injury to the domestic industry will intensify in case anti-dumping duties in force cease to exist. The data on record shows that there are significant third country exports which shows significant capacities and export orientation with the Chinese producers. Third country dumping margin has been calculated and significant volumes to third countries are at dumped prices. The price attractiveness analysis shows that there are significant exports to third countries which are at the prices lower than

NIP and NSR of the domestic industry and these volumes can be diverted to India in the event of revocation of antidumping duties.

J. Post Disclosure Comments

84. The submissions/comments against post disclosure statement have been examined and it is noted that most of the issues raised now have already been raised during the course of investigation, however, for the sake of clarity the submissions have been summarized and addressed appropriately.

85. The Domestic Industry made the following submissions:
    i. There is a need for modification of ADD as the dumping margin and injury margin established for the responding producer has significantly increased as compared to previous POI. The volume of import of the type of PUC exported by the responding producer is significantly higher and are also undercutting the prices of the domestic industry even after addition of ADD.
    ii. Product under consideration has a history of dumping in India and other country. The Indian Industry faced severe consequences of dumping at the time of previous investigations
    iii. Domestic industry is suffering continuous injury from dumped imports even though the volume of imports has decreased, because of the diversion of exports from porcelain/ glass insulators to polymer insulator, which is being used interchangeably by PGCIL.
    iv. The producers in China are having significant capacities of porcelain/glass insulators are holding these capacities idle and in the event of revocation of duties there is a strong likelhood that these idle capacities will be used to export the product in India
    v. Argentina has carried out investigation for the porcelain insulators against China, Brazil and Colombia.. The antidumping duty of 227.74% was imposed in the year 2015 and the same duty is still in force. The quantum of duty imposed is fully reflective of the extent of Chinese dumping
    vi. Anti-dumping duty may be imposed only as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty in US$/MT.

86. The submissions made by M/s Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd have been summarised as under:
    i. Authority has not considered the packing cost appropriately. The packing cost proposed to be adjusted is much larger than the actual packing cost of M/s. Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd. A detailed calculation and allocation regarding packing cost working has been provided.
    ii. There is no causal link between the imports of subject goods i.e. porcelain/glass insulators from China PR and injury to the domestic industry. The only reason for injury is increase in the imports of Polymer/Composite Insulators which is not the subject goods.
    iii. Imports of subject goods have declined significantly and constitutes merely 0.71% share of total demand in India. Whereas on the contrary, imports of polymer insulators have increased significantly causing injury to the domestic industry. Thus, the imports of polymer insulators are to be considered while analysing the causal link between the imports and injury to the domestic industry. The Authority should not attribute to alleged dumped imports to a domestic industry that is a result of change in pattern of consumption due to change/development in technology.

87. The main issue raised by M/s Sediver Insulators (Shanghai) Co Ltd., is summarised as under-
    i. The rights guaranteed to an "interested party" under the Anti-dumping Rules are not subject to any kind of registration requirement. The rights of interested party under Rules are (a) Right to an oral hearing and filing written submissions thereafter (Rule 6(6). (b) Right to peruse and comment upon the evidence filed by other interested parties (Rule 6(7)). (c) Right to peruse and comment upon the Disclosure Statement (Rule 16).
    ii. Thus, the rights guaranteed under Rules and the principles of natural justice supersede any internal operating procedure that has been enacted under the legislative umbrella of the Rules in the first place. Trade Notice itself mandates that the Hon'ble Designated Authority must first examine M/s Sediver's submissions prior to rejecting the same.

Examination by the Authority

88. The Authority has examined the issues raised by the interested parties at appropriate places in above paragraphs, however, some of the issues are being clarified again as under:
    i. The Authority noted the comments of DI regarding the form and modification of the existing antidumping duties and recommendations of the Authority are contained in the duty table below.

ii. The claim of M/s Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd regarding the packing cost adjustment has been accepted and the NEP has been reworked in the relevant paragraph above.

iii. The details regarding the trends in import of porcelain/glass and polymer insulators and causal link have been examined and analysed in detail and are mentioned in the relevant paragraphs above.

iv. The claim made by M/s Sediver Insulators (Shanghai) Co Ltd., that it should be considered as an interested party is not tenable as M/s Sediver neither registered itself as an interested party within the time limit prescribed nor filed questionnaire response. The Authority had categorically stated in disclosure statement in para 5 (viii) and 19 (ii) that it is not being considered as an interested party and the reasons thereof. The Disclosure statement was specifically sent to M/s Sediver to make them aware about the Authority's stand. The categorical stand of the Authority has been reiterated in para 5(xi) and 20(ii) of the present final finding notification that it is not being considered as an interested party and the reasons thereof.

v. As regards to the contention that the trade notice is unreasonable in putting restriction is without any basis and has no merit. The Rule 6(4) of the Rules and the initiation notification has clearly prescribed the time limit for filing the questionnaire response and the trade notice has only reiterated the same. As for the discretionary powers of the Authority referred to in para 4 of the said trade notice, the Authority had examined the same and found that no larger interest of the investigation is being served. However, the Authority has still examined the issues raised by M/s Sediver and addressed them appropriately wherever required, inspite of non-filing of prescribed questionnaire response by them.

vi. Further, it is noted that M/s Sediver has inspected the public file on three occasions i.e. 18th April, 22nd April and 3rd May, 2019 wherein they have availed the opportunity to examine the non-confidential information and also took copies of the same as evidenced by signatures of their legal representative authorized by the exporter for this purpose. Therefore, the submissions that they were denied access to information pertaining to investigation is false and baseless.

K. CONCLUSION

89. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that:

a. The product under consideration continues to be imported at the dumped prices from the subject country;
b. The domestic industry has suffered continued injury on account of dumped imports;
c. The continued injury to the domestic industry in on account of dumped imports and is likely to continue if the anti-dumping duties from subject country cease to exist;
d. The information on record clearly shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the ADD in force is allowed to cease at this stage;

L. Indian Industry's Interest and other issues

90. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the continuation of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

M. RECOMMENDATIONS

91. Having concluded that there is positive evidence on the aspect of dumping, injury and causal links, likelihood of dumping and injury, if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required against the subject country.

92. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry in case of the co-operative producer exporter from China PR and a residual margin for all the other non-responding entities . Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties on the import of the subject

goods, originating in or exported from China PR as indicated in Col 7 of the duty table below, for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government:

DUTY TABLE

Sr. No	Tariff Item*	Description of Goods**	Country of Origin and/or Export	Producer	Duty Amount In USD	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	854610 854620	Electrical Insulators	China PR	M/s Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd	638	MT
2.			China PR	Any other	1,383	MT

* Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC. The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code.

**PUC is Electrical Insulators of glass/porcelain/ceramic, whether assembled or unassembled. However, following are excluded from the scope of present investigation
(a) telephone or telegraph insulators of voltage rating up to 1 KV;
(b) electrical or electronic appliances/device insulators of voltage rating up to 1 KV;
(c) composite insulators; and
(d) Condenser bushings and voltage transformers.

93. The duty rates as recommended above are applicable for exports of subject goods manufactured by specified producer mentioned in column (5). The Customs should verify the name of the producer at the time of clearance of subject goods.

94. The applicant domestic industry and the responding producer are required to inform the Authority regarding any change in constitution/ ownership of the manufacturing facility, along with relevant documents substantiating the said change, for the subject goods against which Anti-Dumping Measures are being recommended. The information should reach the Authority within 60 days of the said change, if any.

95. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addi. Secy. & Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.07.23 17:23:19 +05'30'